# अध्याय–दो

## संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति

(धारा 16–ङ, 16–च और 16–चच)

1– किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधान और अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए, चाहे वह सीधी भर्ती से हो या अन्यथा, न्यूनतम अर्हतायें "परिशिश्ट–क" में दी गई है।

1–क– विखण्डित

2–(1) संस्था के प्रधान का पद, यथास्थिति, धारा 16–च की उपधारा (1) के अधीन या धारा 16–चच की उपधारा (1) अधीन गठित चयन समिति को निर्देश करने केपश्चात् खण्ड (2) में किए गए उपबन्धों के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसी संस्था की दशा में जो धारा 16–चच में निर्दिष्ट संस्था न हो, संस्था के प्रधान के पद में ऐसी अस्थायी रिक्ति जो किसी पदधारी को किसी शिक्षा सत्र के दौरान छः माह से अनाधिक अवधि की छुट्टी प्रदान करने या किसी पदधारी की मृत्यु या सेवा–निवृत्ति या उसके निलम्बन के कारण हुई हो, संस्था में उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम अर्ह अध्यापक की, यदि कोई हो, पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

(2)(क) जहाँ कोई संस्था हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट कालेज में कमोन्नति की जाय वहाँ ऐसे कालेज के प्रिंसिपल का पद ऐसे हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, यदि वह तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार मौलिक रूप से प्रधान अध्यापक के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किया गया हो और उसका सेवा–अभिलेख अच्छा हो वह इस निमित्त विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो या उसे परिषद् द्वारा ऐसी अर्हता से छूट दी गई हो।

(ख) ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति सम्बद्ध प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का प्रस्ताव सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत करेगी।

(ग) उप खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति के उस प्रस्ताव की एक प्रति जिसमें ऐसे प्रधानाध्यापक की पदोन्नति का अनुमोदन किया गया हो, उसकी सेवा–पुस्तिका और चरित्र–पंजी संलग्न होगी और उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिया होगा, अर्थात्–

(1) जन्म का दिनांक,

(2) उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षाएं जिसमें ऐसी परीक्षाओं के विषय–श्रेणी और उत्तीर्ण करने का वर्ष उल्लिखित होगा।

(घ) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ऐसे प्रस्ताव पर अपना विनिश्चय उसकी प्राप्ति के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर संसूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ने ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।

(ङ) उपखण्ड (घ) के अधीन सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक का विनिश्चय प्रबन्ध समिति को और सम्बद्ध प्रधानाध्यापक को भी संसूचित किया जायगा।

(च) सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति भी है, उप खण्ड (ङ) के अधीन आदेश के संसूचित किए जाने के दिनांक से दस दिन के भीतर उसके विरूद्ध निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

(छ) किसी हाईस्कूल का कोई प्रधानाध्यापक जो क्रमोन्नत इण्टरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति के लिए योग्य न पाया जाय या किसी ऐसे जूनियर हाईस्कूल का कोई प्रधानाध्यापक जिसका उसके हाईस्कूल के रूप में क्रमोन्नत किए जाने पर चयन समिति द्वारा ऐसे क्रमोन्नत हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक के पद के लिए चयन न किया गया हो, ऐसे उच्चतम पद पर, जिसके लिए वह अर्ह है, सहायक अध्यापक के रूप में रखा जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका वेतनमान घटाया नहीं जायेगा।

**स्पष्टीकरण**— इस उपखण्ड में दी गयी कोई भी बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे दिनांक को, जब संस्था को यथास्थिति, हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट कालेज के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया था स्थायी न रहा हो या विधि के अनुसार सम्यक्‌रूप से नियुक्त न किया गया हो।

(3) जहाँ संस्था के प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति तीस दिन से अनाधिक की अवधि के लिए हो, वहाँ उच्चतम श्रेणी में ज्येष्ठतम अध्यापक को संस्था के कार्यवाहक प्रधान के रूप में कार्य करने की अनुज्ञा दी जा सकती है, किन्तु वह उस श्रेणी से जिसमें वह अध्यापक के रूप में वेतन पा रहा हो, उच्चतर श्रेणी में वेतन का हकदार न होगा।

(4) ऐसे सभी मामलों में, जिनमें इस विनियम के अधीन पदोन्नति की जाय, प्रबन्ध समिति के संकल्प की प्रति परिशिष्ट'ख' में विहित प्रारूप (प्रोफार्मा) में विवरण के साथ शीघ्र ही प्रबन्धक द्वारा निरीक्षक और सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भेजी जायेगी।

3—(1) प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करायेगी——

(क) प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों की, जो किसी मौलिक पद पर स्थायी या अथायी हों, ज्येष्ठता सूची पृथक—पृथक तैयार की जायगी।

(ख) किसी श्रेणी में अध्यापकों की ज्येष्ठता उस श्रेणी में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जायगी।

यदि एक ही दिनांक को दो या दो से अधिक अध्यापक इस प्रकार नियुक्त किए गए थे, तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायगी।

(खख) जहाँ किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापक एक ही दिनांक को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नत किए जाये तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसकी गणना उस श्रेणी में, जिससे पदोन्नति की जाय, उनका मौलिक नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सेवा की अवधि समान हो तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(ग) सेवा काल की अवधि चाहे कुछ भी हो उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायगा।

(घ) यदि कोई अध्यापक जो निलम्बित किया गया हो अपने मूल पद पर बहाल कर दिया जाय तो श्रेणी में उसकी मूल ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) अध्यापक की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्येक विवाद प्रबन्ध समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण देते हुए उसका विनिश्चय करेगी।

(च) उपखण्ड (ङ) के अधीन प्रबन्ध समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय ऐसे अध्यापक को सूचित किए जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को अपील कर सकता है, और अपील पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उप शिक्षा

निदेशक अपना निर्णय कारणों सहित देगा, जो अन्तिम होगा और प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यान्वित किया जायगा।

(छ) यदि एक ग्रेड में कार्यरत दो या अधिक अध्यापक किसी एक ही तिथि पर पदोन्नत किए जांय तो उनकी ज्येष्ठता का आधार उस ग्रेड का सेवाकाल होगा जिसमें वे कार्यरत थे,परन्तु यदि सेवा-काल बराबर है तो पदोन्नति की दशा में आयु के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(2) ज्येष्ठता सूची प्रतिवर्ष पुनरीक्षित की जायेगी और खण्ड(1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे।

(3)-क (1) किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था की स्थिति में, विनियम 3 में यथा व्यबस्थित ज्येष्ठता सूची सम्बद्ध स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जायेगी और उसका अनुरक्षण किया जायेगा।

(2) जहां किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं की संख्या एक से अधिक हो वहां संस्थाओं के प्रधानों की एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची और अध्यापकों की एक अन्य संयुक्त ज्येष्ठता सूची रखी जायेगी। बालकों और बालिकाओं की संस्थाओं की स्थिति में ऐसी सूचियां पृथक-पृथक रखी जायेगी।

(3) उप विनियम (1) और (2) के अधीन ज्येष्ठता सूची तैयार करने के लिए नियम 3 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होगें और उक्त विनियम में और अध्याय 2 के अधीन अन्य विनियमों में प्रबन्ध समिति के प्रति निर्देश को उप विनियम (1) में निर्दिष्ट संस्थाओं की स्थिति में सम्बद्ध स्थानीय निकाय के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

4- जहॉ किसी जूनियर हाईस्कूल को धारा 7 के अधीन हाईस्कूल के रूप में मान्यता दी जाय वहॉ ऐसे स्कूल के ऐसे स्थायी या अस्थायी अध्यापक को, जो विनियम 1 के अधीन न्यूनतम अर्हता रखता हो, ऐसे हाईस्कूल का यथास्थिति स्थायी या अस्थायी अध्यापक समझा जायगा; प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अस्थायी अध्यापक की सेवायें, जिसका अधिनियम और विनियम के अनुसार नियुक्ति के लिए चयन न किया गया हो, उसे उस निमित्त एक माह का नोटिस देने या नोटिस के बदले में एक माह का वेतन देने के पश्चात् समाप्त हो जायगी।

**स्पश्टीकरण**- इस विनियम में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि हाईस्कूल के अन्तर्गत कक्षा 1 से 5 तक भी है।

*5- (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापक के पद की प्रत्येक रिक्ति खण्ड (2)में किए गए अन्यथा उपबन्ध के सिवाय सीधी भर्ती द्वारा भरी जायगी।

(2)-(क) प्रवक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत संस्था में कमशः एल0टी0 और सी0टी0 श्रेणी में कार्यरत अध्यापकों में से केवल पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा और पदोन्नति ऐसे अध्यापकों की पदोन्नति के लिए उपलब्धता तथा पात्रता के अधीन रहते हुए की जायेगी।

* शासनादेश संख्याः 1689/15-7-69-1990 दिनांक 15 सितम्बर 1990 द्वारा धारा 9(4) के अन्तर्गत प्रमोशन के कोटे को 40 से बढ़ाकर 50 किया गया। विज्ञप्ति संख्या परिषद-9/715 दिनांक 19-11-90 द्वारा।

(ख) यदि यथास्थिति प्रवक्ता (लेक्चरार) श्रेणी में एल0टी0 श्रेणी में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक पद पहले ही पदोन्नति द्वारा भर लिए गए हों तो पहले से पदोन्नत किए गए व्यक्तियों को प्रत्यावंर्तित नहीं किया जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन पचास प्रतिशत पदों की संगणना करने में आधा से कम भाग छोड़ दिया जायगा और आधा या आधा से अधिक भाग को एक समझा जायेगा।

**स्पश्टीकरण**-

(1) पद "स्वीकृत पद" का तात्पर्य किसी ऐसे पद से है जिसका सृजन किसी विर्निदिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से न किया गया हो वरन् जो ऐसे पद का सृजन करने के लिए सक्षम

प्राधिकारी के आदेश द्वारा सृजित किया गया हो और उसके अन्तर्गत ऐसा पद भी है जिस पर नियुक्ति निरीक्षक के अनुमोदन से की गई हो।

(2) यह नहीं समझा जायेगा कि कोई ऐसा पद पदोन्नति द्वारा भरा गया है, जिस पर कोई ऐसा अध्यापक था, जो संस्था में निम्नतर श्रेणी में कार्य करते समय सीधी भर्ती द्वारा उस संस्था में उच्चतर श्रेणी द्वारा उस संस्था ने उच्चतर श्रेणी मे नियुक्त किया गया था।

(3) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम,1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1958) के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी भी रीति से, सम्यक् रूप से नियुक्त अध्यापक सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए समझें जायेगें।

6-(1) जहां विनियम 5 के अधीन यथा अवधारित प्रवक्ता श्रेणी में या एल०टी० श्रेणी में कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहां यथास्थिति एल०टी० या सी०टी० श्रेणी में कार्यरत ऐसे सभी अध्यापकों के सम्बन्ध में, जिनकी स्थायी रिक्ति होने के दिनांक को न्यूनतम पाँच वर्ष की लगातार मौलिक सेवा हो, प्रबन्ध समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उसके निमित्त उनके आवेदन किए बिना ही विचार किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि वे उस विषय में जिसमें प्रवक्ता श्रेणी में या एल०टी० श्रेणी में अध्यापक की आवश्यकता हो, अध्यापन के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों।

**टिप्पणी–** इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए किसी अध्यापक द्वारा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में एल०टी० श्रेणी या सी०टी० श्रेणी में की गयी सेवा की गणना पात्रता के सम्बन्ध में की जायेगी यदि उसमें सेवा से हटाये जाने, पदच्युत होने या निम्नतर पद पर पदोन्नति होने से व्यवधान न हुआ हो।

(2) अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के लिए चयन सेवाकाल, सेवा में उपलब्ध शैक्षिक अर्हता और सत्यनिष्ठा के आधार पर की जायेगी।

(3) खण्ड(2) के अधीन रहते हुए जहाँ किसी विषय में प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति के लिए एल०टी० श्रेणी में एक से अधिक अध्यापक पात्र हों वहां ऐसे अध्यापक को अधिमानता दी जायेगी जो उनमें से उस श्रेणी में सेवा में ज्येष्ठतम हों।

(4)(क) किसी ऐसे अध्यापक के दावे की जो पदोन्नति के लिए पात्र हो, केवल इस कारण उपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह लम्बी छुट्टी पर चला गया है या उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न है या कार्य कर रहा है।

(ख) किसी ऐसे अध्यापक की दशा में जो निलम्बित हो, पदोन्नति के लिए दावे की उपेक्षा नहीं की जायेगी यदि वह पदोन्नति के चयन किए जाने के पूर्व बहाल कर दिया जाय।

(5) किसी ऐसे अध्यापक के सम्बन्ध में जिसका इन विनियमों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है, संस्था का प्रबन्धक ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर निरीक्षक की सहमति के लिए प्रस्ताव के साथ ऐसे संकल्प की एक प्रति और एक विवरण–पत्र भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिए जायेगें:

(1) उस श्रेणी में जिसमें पदोन्नति की जानी हो, स्वीकृत पदों की कुल संख्या ;

(2) ऐसे पदों की संख्या जो पदोन्नति के लिए आरक्षित रखे जायेंगे;

(3) ऐसे पदों की संख्या जो पहले ही पदोन्नति द्वारा भर दिए गए हों और पदाधिकारियों के नाम;

(4) ऐसी रिक्तियों की कुल संख्या जो हो गयी हो;

(5) प्रबन्ध समिति द्वारा अवधारित रिक्तियों की संख्या जो—

(क) पदोन्नति;

(ख) सीधी भर्ती,

द्वारा भरी जायेगी।

(6) पदोन्नति के लिए सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम, उनकी अर्हता और उस श्रेणी में, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से उनकी सेवा की अवधि, और

(7) पदोन्नति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों के नाम।

(6) खण्ड (5) के अधीन प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षक उस पर अपना विनिश्चय प्रबन्धक को संसूचित करेगा। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि निरीक्षक ने प्रबन्ध समिति द्वारा पारित किए गए संकल्प पर अपनी सहमति दे दी है।

(8) जहाँ प्रबन्ध समिति खण्ड (6) के अधीन निरीक्षक के विनिश्चय से व्यथित हो, वहाँ वह प्रबन्धक को ऐसे विनिश्चय की संसूचना दिए जाने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, उसके विरुद्ध सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा।

7–(1) ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज, एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, के सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में बी0टी0सी0 श्रेणी में अध्यापकों के पद की प्रत्येक रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी। स्नातक परीक्षा के साथ सी0टी0 / बी0टी0सी0 / एच0टी0सी0 या समकक्ष अर्हता किन्तु बी0टी0सी0 प्रशिक्षित उपलब्ध न होने की दशा में बी0एड0 अर्हताधारी नियुक्त किये जा सकेंगे।

(2) ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में उपलब्ध प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के कुल पदों के 25 प्रतिशत पदों को प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत ऐसे अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा जिन्होंने प्राइमरी अध्यापक के रूप में पाँच वर्षों की सेवा पूरी कर ली है तथा वह प्रशिक्षित स्नातक हो और ऐसी पदोन्नति की सूचना निरीक्षक को तुरन्त दी जायेगी।

(3) यदि निरीक्षक को यह विश्वास करने का कारण हो कि खण्ड (2) के अधीन कोई पदोन्नति उक्त अधिनियम और विनियमों के उल्लंघन में की गई है तो इस निमित्त की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह मामले का निर्देश निदेशक को कर सकता है जिसका विनिश्चय इस विषय में अंतिम होगा।

8– यदि कोई अध्यापक विनियम 5, 6 या 7 के अधीन प्रबन्ध समिति के किसी विनिश्चय से व्यथित हो तो वह उसके विरुद्ध ऐसे विनिश्चय के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर निरीक्षक को अभ्यावेदन कर सकता है। निरीक्षक ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त होने के तीनसप्ताह के भीतर उस पर ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे, जो प्रबन्ध समिति द्वारा शीघ्र कार्यान्वित किया जायेगा।

9(1) जहाँ अध्यापक के पद में कोई रिक्ति उसे छः माह से अधिक अवधि की छुट्टी प्रदान किए जाने के कारण हुई हो या जहाँ कोई अध्यापक निलम्बित हो जिसे निरीक्षक ने धारा 16–छ. की उपधारा (7) के अधीन लिखित रूप में अनुमोदित कर दिया हो और ऐसे निलम्बन की अवधि ऐसे अनुमोदन के दिनांकसे छ. माह से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो रिक्ति इस विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यथास्थित सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा अस्थायीरूप से भरी जा सकती है।

(2) जहाँ कोई रिक्ति खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रकार की हो या विनियम 2 के अधीन पदोन्नति के परिणाम स्वरूप हो और ऐसी रिक्ति की अवधि तीस दिन से अधिक किन्तु छः माह से अनधिक हो तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के सम्यक् रूप से अर्ह स्थायी अध्यापक की पदोन्नति करके भरी जा सकती है।

(3) यदि खण्ड (2) के अधीन कोई रिक्ति निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के किसी ऐसे अध्यापक के जो उस पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, उपलब्ध न होने के कारण भरी न जा सके तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा कुल मिलाकर छः माह से अनाधिक अवधि के लिए सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ आधार पर भरी जा सकती है

(4) खण्ड (2) या खण्ड (3) के अधीन भरी गई सभी रिक्तियाँ उनके भरे जाने के एक सप्ताह के भीतर परिशिष्ट (ख) में विहित प्रारूप (प्रोफार्मा) में निरीक्षक को सूचित की जायेंगी।

9(क) किसी स्थायी अध्यापक की निम्नस्तर श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के परिणामस्वरूप हुई किसी रिक्ति को भरने के लिए किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक उस पद पर ऐसे स्थायी

अध्यापक के उच्चतर श्रेणी में स्थायीकरण के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

10– किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधे भर्ती द्वारा भरने की प्रकिया निम्नलिखित होगी:–

(क) प्रबन्ध समिति द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या अवधारित कर लिए जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम दो ऐसे समाचार पत्रों में जिनमें एक व्यापक प्रचलन का स्थानीय अथवा संस्था के निकटतम स्थान से प्रकाशित होने वाला कोई समाचार पत्र हो और दूसरा राज्य में व्यापक परिचालन वाला समाचार पत्र हो पद विज्ञापित किए जायेगें, प्रतिबन्ध यह है कि समाचार पत्रों की सूची जिला विद्यालय निरीक्षक अपने सम्भाग के सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित करेगें और उनमें से ही दो समाचार पत्रों में जनपद के समस्त प्रबन्ध समितियों द्वारा विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् स्थायी है या अस्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण (अर्थात् प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या एल0टी0,सी0टी0 या जे0टी0सी0,बी0टी0सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसा या ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्रवक्ता या अध्यापक की आवश्यकता हो), वर्तमान और अन्य भत्ते अपेक्षित अनुभव, पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता और न्यूनतम आयु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में विवरण दिए गए हों और अन्तिम दिनांक(जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) विहित किया जायेगा जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्णतया भरे गए आवेदन–पत्र निम्नलिखित के कार्यालय में प्राप्त किए जायेगें––

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक, या

(2) बालिकाओं की संस्थाओं की दशा में सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका।

विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र किसी निरीक्षक के कार्यालय से 9 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट से भुगतान करने पर या कोषागार के चालान से निरीक्षक द्वारा बताये गए शीर्षक के अधीन स्टेट बैंक आफ इण्डिया में धनराशि जमा करके प्राप्त किए जा सकते हैं। किसी भी दशा में निरीक्षक के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञप्ति किए जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायगी।

टिप्पणी– (1) विज्ञापन देने के समय पर विद्यमान संस्था के अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पद की सभी रिक्तियां विज्ञापित की जायेंगी।

(2) कोई नया पद तब तक विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्ध समिति द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।

(ख) आवेदन का प्रपत्र ऐसा होगा जैसा कि निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन–पत्र को, जो संस्था में नियोजित हो और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन कर रहा हो, नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा,किन्तु शीघ्र ही सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक या सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षकों को और धारा 16–चच में निर्दिष्ट संस्था में किसी पद की दशा में, उसके प्रबन्धक को भेज दिया जायगा।

(घ) प्राप्त किए गए आवेदन–पत्र निरीक्षक के कार्यालय में निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र रखे गए रजिस्टर में कमानुसार संख्याकित और प्रविष्ट किए जायेगे और अभ्यर्थियों के विवरण प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के साथ समुचित स्तम्भों के अन्तर्गत दर्ज किए जायेगें। प्रत्येक अभ्यर्थी का गुण–विषयक अंक परिशिष्ट 'घ' में अधिकथित मानदण्ड के अनुसार अधिमानतया निरीक्षक द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए स्थानीय सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों या सेवानिवृत्त प्रिंसिपलों या उपाधि महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों या संस्था के सेवानिवृत्त प्रधानों द्वारा दिए जायेगें और इसकी जॉच निरीक्षक या उसके द्वारा विभाग के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी

द्वारा की जायेगी। इन आवेदन–पत्रों का विज्ञापन में आवेदन–पत्र प्राप्ति के लिए विज्ञापित अंतिम दिनांक से पांच दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रबन्ध समिति द्वारा तीन दिन के भीतर निरीक्षक के कार्यालय से संस्था के प्रबन्धक के माध्यम से संग्रहीत किया जायेगा। ऐसा न करने पर, निरीक्षक आवेदन–पत्रों को सम्बन्धित संस्था के प्रबन्ध को भिजवा देगा। प्रबन्धाधिकरण भी इसी प्रकार का एक रजिस्टर रखेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा गुण–विषयक प्राप्तांकों के अनुसार किया जायेगा। प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वालों की संख्या (यदि आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी, प्रतिबन्ध यह है कि यह संख्या ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए बढ़ायी जा सकती है जो प्रथम सात स्थानों मे समान गुण–विषयक अंक प्राप्त करें। निरीक्षक चयन करने के लिए ऐसे दिनांक, समय और स्थान को जैसा कि उसके द्वारा निर्धारित किया जाय, सूचना ऐसे दिनांक के कम से कम दो सप्ताह पूर्व प्रबन्ध समिति को उसके प्रबन्धक के माध्यम से भेजेगा। सूचना प्राप्त होने पर प्रबन्धक शीघ्र ही विशेषज्ञों से भिन्न चयन समिति के अन्य सदस्यों को सूचना भेजेगा और साक्षात्कार के लिए चयन किए गए सभी अभ्यर्थियों को ऐसे चयन के कम से कम दस दिन पूर्व रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा साक्षात्कार–पत्रक जारी करेगा जिसमे चयन किए जाने का दिनांक, समय व स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा। चयन समिति तदनुसार चयन करने के लिए अपनी बैठक करेगी। निरीक्षक यथास्थिति धारा 16–च की उपधारा (1) या (2) के खण्ड(3) के अधीन नाम–निर्दिष्ट विशेषज्ञों को संस्था के नाम के साथ–साथ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक, समय और स्थान की सूचना ऐसे दिनाक के पर्याप्त समय पूर्व भेजेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से कोई विशेषज्ञ चयन करने के लिए निर्धारित दिनांक को उपस्थित न हो सके तो निरीक्षक तुरन्त ही प्रतीक्षा सूची में से विशेषज्ञ का प्रबन्ध करेगा। दो विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी और उसके लिए दूसरा दिनांक निर्धारित किया जायेगा।

(घघ) जहा खण्ड (क) के अधीन विज्ञापित पद किसी संस्था के प्रिंसिपल के पद के लिए हो, वहॉ ऐसी संस्था के प्रवक्ता श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक और जहॉ विज्ञापित पद किसी संस्था के प्रधानाध्यापक के पद के लिए हो वहॉ ऐसी संस्था के एल0टी0 श्रेणी के दो ज्येष्ठतम अध्यापक, जो ऐसे पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हतायें रखते हों और जिन्होंने अपनी–अपनी श्रेणी में कम से कम दस वर्ष की लगातार सेवा, जिसके अन्तर्गत ऐसी अवधि यदि कोई हो, जिसके दौरान उन्होंने अस्थायी रूप से प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक के रूप में सेवा की हो,भी है, उस पद के लिए साक्षात्कार के निमित्त बुलाये जाने के हकदार होगें, भले ही वे खण्ड (घ) के अधीन प्रथम सात स्थानों में न आते हो।

(ङ) साक्षात्कार के लिए बुलाये गए प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित दरों पर साक्षात्कार फीस का भुगतान करना होगा:–

| | रू0 |
|---|---|
| (1) संस्था के प्रधान के पद के लिए | |
| सामान्य अभ्यर्थी—– | 20 |
| अनुसूचित जाति/जन–जाति का अभ्यर्थी– | 05 |
| (2) अध्यापक के पद के लिए– | |
| सामान्य अभ्यर्थी– | 13 |
| अनुसूचित जाति/जन–जाति का अभ्यर्थी– | 03 |

साक्षात्कार फीस रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट द्वारा या निरीक्षक द्वारा बताये गए शीर्षक के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया में धनराशि जमा करके कोषागार चालान द्वारा देय होगा। किसी भी दशा में साक्षात्कार फीस नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगीं। सभी पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट और कोषागार चालान प्रबन्धक द्वारा चयन के पश्चात् शीघ्र ही निरीक्षक को भेजे जायेगें,

(च) प्रबन्ध समिति द्वारा परिशिष्ट "ग" में दिए गए प्रपत्र में एक विवरण–पत्र (6 प्रतियों में) तैयार कराया जायेगा जिसमें साक्षात्कार के लिए बुलाये गए प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम उसकी अर्हतायें और उसके सम्बन्ध में अन्य विवरण दिए जायेगें ओर उन्हें साक्षात्कार के समय पर चयन समिति के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखा जायेगा। सभी आवेदन–पत्र जिसके अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र भी है जिन्हें साक्षात्कार के लिए न बुलाया गया हो, खण्ड (घ) में निर्दिष्ट संस्था द्वारा रखा गया

रजिस्टर,चयन समिति के सदस्यों को भेजें गए सभी पत्रों को और सभी साक्षात्कार पत्रकों की कार्यालय प्रतियों को भी जिसमें उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे जाने की डाकखाने की रसीद और प्राप्ति स्वीकृति, यदि कोई हो, सम्मिलित है, प्रबन्धाधिकरण द्वारा संस्था के माध्यम से चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा।

(छ) चयन समिति द्वारा चयन गुण–विषयक अंकों और साक्षात्कार में दिए गए अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए अंकों का योग गुण–विषयक अंकों जैसा कि खण्ड (घ) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए जायें और चयन समिति के सदस्यों द्वारा 50 में से दिए गए अंकों के औसत को जोड़कर लगाया जायेगा। उदाहरणार्थ– ऐसे अभ्यर्थी को जो खण्ड (घ) के अधीन 90 गुण–विषयक अंक प्राप्त करें। साक्षात्कार में निम्नलिखित अंक दिए जायें:–

| | |
|---|---|
| सदस्य संख्या 1 | 35 |
| सदस्य संख्या 2 | 30 |
| सदस्य संख्या 3 | 40 |
| सदस्य संख्या 4 | 45 |
| सदस्य संख्या 5 | 25 |
| योग– | 175 |

तो अंकों का योग 90+175/5=125 होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विशेषज्ञ भी खण्ड(च) में निर्दिष्ट विवरण पत्र में यह अंकित करेगा कि वह अभ्यर्थी के चयन से सहमत है या नहीं। असहमति की दशा में वह संक्षेप में उसके कारण लिखेगा। किसी पद के लिए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति या तो स्वयं या उसके किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए चयन की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी दो प्रतियों में तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थी के नाम के साथ उपर्युक्त उदाहरण के अनुसार अवधारित योग्यता क्रम में तैयार की गयी प्रतीक्षा–सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम और कम से कम दो ऐसे विशेषज्ञों के नाम भी दिए जायेगें जो ऐसे अभ्यर्थियों के चयन से सहमत हों। इस प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति और अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेगें जिसमें उनका पूरा नाम, पदनाम और पता और दिनांक दिया जायेगा। इस टिप्पणी की एक प्रति के साथ खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण–पत्र की एक प्रति सभापति द्वारा शीघ्र ही प्रबन्धक के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति सम्बन्धित निरीक्षक को भेजी जायेगी।

**स्पशटीकरण**–धारा 16–च की उपधारा(3) में निर्दिष्ट मामलों में, इस विनियम में प्रबन्ध समिति या उसके अध्यक्ष (प्रेसीडेन्ट) या सदस्य के प्रति कोई निर्देश प्राधिकृत नियंत्रक के प्रति निर्देश समझा जायेगा जिसे खण्ड (घ) के अधीन, साक्षात्कार में अंक देने के प्रयोजनार्थ चयन समिति का एकल सदस्य समझा जायेगा।

(छ) खण्ड (छ) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को दिए गए अंकों का योग बराबर हो तो आयु में ज्येष्ठतम अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

11(1) किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक के चयन में उपस्थित विशेषज्ञों का यह कर्तव्य होगा कि वे चयन से सम्बन्धित अभी कागज–पत्रों की छान–बीन करें और विशेष रूप से यह परीक्षण करे कि साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों को अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार ठीक तौर से बुलाया गया और यह कि किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के ऐसे अवसर से वंचित तो नहीं रखा गया जो उसे उचित रीति से मिलना चाहिए था। वे परिशिष्ट'ग' में विवरण में यथा प्रस्तावित चयन की कार्यवाहियों में इस आशय का एक प्रमाण–पत्र देगें। यदि वे यह अनुभव करें कि किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या चूक के फलस्वरूप साक्षात्कार के विधि संगत अवसर से वंचित रखा गया है तो वे मामले के पूरे ब्योरे के साथ निरीक्षक को सूचित करेगें। यदि निरीक्षक का यह समाधाना हो जाय कि इससे साक्षात्कार की कार्यवाहियां दूषित हो गयी हैं तो वह साक्षात्कार की कार्यवाहियों को अकृत और शून्य घोषित कर देगा और ऐसे मामलों में फिर से चयन करने के लिए आदेश देगा। इस सम्बन्ध में निरीक्षक के आदेश अन्तिम और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए आबद्ध कर होंगे।

(2) चयन से सम्बन्धित सभी आवेदन–पत्र, कागज पत्र और रजिस्टर प्रबन्धाधिकारण द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेगें जैसी कि निदेशक द्वारा विहित की जाये और निरीक्षक, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निदेशक को जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किए जायेगे।

12– संस्था का प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि चयन करने के पूर्व अधिनियम और विनियम के अधीन की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा चयन समिति के सभापति या सदस्य का नाम–निर्देशन भी है, यथासमय कर ली जाय और साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक पर चयन समिति की बैठक और साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अभ्यर्थियों के बैठने का सभी प्रबन्ध कर दिया गया है।

13– निरीक्षक एक या अधिक संस्थाओं के एक या अधिक चयन ऐसे स्थान, समय और दिनांक पर निर्धारित कर सकता है, जो सुविधाजनक हो।

14– संस्था के प्रधान और अध्यापकों का चयन करने के लिए प्रत्येक सम्भाग के लिए धारा 16–च की उपधारा (4) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों की पृथक–पृथक नामिका (पैनल) निदेशक द्वारा निम्नलिखित प्रवर्ग के व्यक्तियों मे से जब उन्होने विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने के लिए अपनी लिखित सहमति दे दी हो, तैयार की जायेगी :–

**(क) वे व्यक्ति जो संस्था के प्रधान का चयन करने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकेगें–**

(1) उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय और पोलिटेक्निक जिसके अन्तर्गत सेन्ट्रल स्कूल भी है, के प्रिंसिपल;

(2) शिक्षा विभाग के प्रान्तीय शिक्षा सेवा के स्तर से अनिम्न प्रवर्ग के राजपत्रित अधिकारी चाहे वे सेवा में हो या सेवा निवृत्त हो गए हों;

(3) विश्वविद्यालयों और उपाधि महाविद्यालयों के आचार्य(प्रोफेसर) और उपाचार्य (रीडर);

(4) विश्वविद्यालयों और उपाधि महाविद्यालयों के प्रवक्ता; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे इस रूप में कम से कम दस वर्ष तक कार्य कर चुके हों;

(5) कोई अन्य व्यक्ति जिसे निदेशक द्वारा उपयुक्त समझा जाये।

(ख) वे व्यक्ति जो अध्यापकों के चयन के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकेगें:–

(1) किसी इण्टरमीडिएट कालेज, हाईस्कूल या राजकीय नार्मल स्कूल के प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक चाहे वे सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो गए हों;

(2) शिक्षा विभाग के उप जिला विद्यालय निरीक्षक के पद से अनिम्न प्रवर्ग के राजपत्रित अधिकारी, चाहे वे सेवा में हो या सेवा–निवृत्त हो गए हों;

(3) उपाधि महाविद्यालय, प्रशिक्षण महाविद्यालय या पोलीटेक्निक के प्रवक्ता और शिक्षा विभाग के कम से कम पॉच वर्ष की अवस्थिति के राजपत्रित अधिकारी;

(4) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे निदेशक द्वारा उपयुक्त समझा जाय।

प्रत्येक सम्भागीय नामिका में विशेषज्ञों की संख्या उतनी होगी जितनी निदेशक द्वार आवश्यक समझी जाय किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इण्टरमीडिएट कक्षाओं के चयन के लि नियुक्त विशेषज्ञ अपने विषय में विशेषज्ञ होगें (अर्थात् उनके पास सम्बद्ध विषय इण्टरमीडिएट कक्षाओं के अध्यापक के लिए परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए सम्भागीय नामिका तीन वर्ष के लिए विधिमान्य रहेगी, किन्तु निदेशक उपर्युक्त अवधि के दौर भी नामिका में किसी व्यक्ति को बढ़ा सकता है या उससे कोई व्यक्ति को हटा सकता जहाँ आवश्यक हो एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक नामिकाओं में सम्मिलित किया सकता है।

15— जैसे ही शिक्षा विभाग के सम्भागीय उप निदेशक को किसी संस्था के प्रधान के लिए विज्ञापित किसी पद के सम्बन्ध में विज्ञापन की प्रति प्राप्त हो जाय, वह सम्बद्ध संस्था के लिए अपने द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञों की एक सूची जिसके साथ एक और नाम भी प्रतीक्षा सूची में होगा निरीक्षक को चयन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजेगा। उसी प्रकार निरीक्षक भी जैसे ही उसे विज्ञापन की प्रति प्राप्त हो ऐसी संस्था या संस्थाओं के लिए, जिसके लिए अध्यापक का चयन किया जाना हो, तीन विशेषज्ञ और एक अन्य जो प्रतीक्षा सूची में होगा को नाम–निर्दिष्ट करेगा, और उन्हें चयन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेगा।

16— चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों को ऐंसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करें, यात्रा भत्ता दिया जायगा।

17— धारा 16–चच में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:–

(क) प्रबन्धाधिकरण द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तयों की संख्या अवधारित किए जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम एक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार–पत्र में जिसका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, पद विज्ञापित किए जायेगें जिसमें रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् अस्थायी हैं या स्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या पद का विवरण (अर्थात् प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या एल0टी0, सी0टी0 या जे0टी0सी0, बी0टी0सी0 श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्राध्यापक या अध्यापक की आवश्यकता हो), पद के लिए विहित वेतन–मान और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम अर्हता और आयु आदि कोई हो तो उनके सम्बन्ध मे विवरण दिए जायेगें और ऐसा दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) जिस तक प्रबन्धक द्वारा आवेदन–पत्र लिए जायेगें, विहित किया जायेगा। साथ ही साथ विज्ञापन की एक प्रति सम्बद्ध निरीक्षक को भेजी जायेगी।

टिप्पणी–(1) अध्यापकों और संस्था के प्रधान के पदों की समस्त रिक्तियॉ जो विज्ञापन के समय विद्यमान हों, विज्ञापित की जायेगी।

(2) को नया पद विज्ञापित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

(ख) सभी आवेदन–पत्र प्रबन्धाधिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में दिए जायेगें और उसमें अर्हतायें, शिक्षण अनुभव और अन्य किया–कलापों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण होगें और उसके साथ समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों और प्रशंसा–पत्रों की प्रमाणित प्रतियां होगी। प्रबन्धाधिकरण आवेदन–पत्र के लिए प्रपत्र का मूल्य जो विनियम 10 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, ले सकता है।

(ग) किसी संस्था में नियोजित और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आवेदन–पत्र उसके नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा बल्कि उसे सम्बद्ध प्राधिकारी को तुरन्त अग्रसारित किया जायेगा।

(घ) अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन–पत्र कमानुसार संख्यांकित और रजिस्टर में दर्ज किए जायेगें, और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भों में अंकित किए जायेगें, प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि (आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी। प्रबन्धक, चयन समिति के समस्त सदस्यों तथा समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जायें, चयन करने के कम से कम दस दिन पूर्व चयन का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा देगा। चयन समिति तदनुसार चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा–16–चच की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निधारित दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी।

12/3-A

(ङ) विनियम 10 के खण्ड (ङ) और (च) के और विनियम 11, 12 तथा 16 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित, इस विनियम के आधीन किए गए चयन पर लागू होंगे।

(च) प्रत्येक सम्भाग के लिए निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक–एक नामिका जिसमें विनियम 14 में निर्दिष्ट प्रवर्ग (क) से चुने गए 15 या अधिक व्यक्ति होगें, तैयार की जायेगी और उसे सम्बद्ध सम्भागीय उप शिक्षा निदेशकों के पास भेज दिया जायेगा, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण से विशेषज्ञों के नाम भेजने का अनुरोध प्राप्त होते ही उक्त नामिका में से तीन विशेषज्ञों के नाम मुहरबंन्द आवरण में प्रबन्धाधिकरण को उसके प्रबन्धक के माध्यम से संसूचित करेगा। विशेषज्ञों की सम्भागीय नामिका तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई नई नामिका न रखी जाय।

(छ) किसी पद के लिए समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति किए गए चयन की कार्यवाहियों पर दो प्रतियों में एक टिप्पणी तैयार करायेगा जिसमें चुने गए अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित किए जायेगें। इसी प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति तथा अन्य सदस्य हस्ताक्षर करेगें और अपना–अपना पूर्णनाम, पदनाम और पता तथा दिनांक उल्लिखित करेगें। सभापति इस टिप्पणी की एक प्रति तथा विनियम 10 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण की प्रति धारा 16–चच के अधीन यथा अपेक्षित अनुमोदन के लिए, यथास्थित, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निरीक्षक को तुरन्त अग्रसारित करेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के प्राप्त होने के दिनांक के छः माह के भीतर, यथास्थिति, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक, या निरीक्षक, उन पर अपना निर्णय देगें और ऐसा न करने पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया समझा जायेगा।

18(1) धारा 16–च की उपधारा (1) या (2) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश और धारा 16–चच में निर्दिष्ट किसी संस्था की स्थिति में उसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति के संकल्प के अधीन प्राधिकार पर अभ्यर्थी को परिशिष्ट 'ङ' में दिए गए प्रपत्र में रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा नियुक्ति का आदेश जारी करेगा जिसमें अभ्यर्थी से ऐसे आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर कार्य–भार ग्रहण करने की अपेक्षा की जायेगी, कार्यभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकेगी।

(2) पदोन्नतियों और तदर्थ नियुक्तियों की स्थिति में भी, पदोन्नति या नियुक्ति का औपचारिक आदेश खण्ड(1) में निर्दिष्ट प्रपत्र के यथा–सम्भव निकटतम प्रपत्र में प्रबन्धक के हस्ताक्षर से सम्बद्ध व्यक्ति को जारी किया जायेगा।

(3) खण्ड (1) और (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश की एक प्रति निरीक्षक को और किसी संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, उसकी एक प्रति सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।

19– जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के उपबन्धों का उल्लंघन करके या किसी स्वीकृत पद से भिन्न किसी पद पर संस्था का प्रधान या अध्यापक नियुक्त किया जाये या संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी पद पर कोई पदोन्नति की जाये तो निरीक्षक जहां संस्था उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत आती हो, ऐसे व्यक्ति को वेतन और अन्य भत्ते, यदि कोई हों देने से इनकार करेगा और अन्य मामलों में ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में वेतन और भत्ते के लिए कोई अनुदान देने से इनकार करेगा।

20– जहां प्रबन्ध समिति इस अध्याय में दिए गए विनियमों के अनुसार किसी ऐसे स्वीकृत पद को जो, रिक्त हो गया हो, ऐसी रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर विज्ञप्ति नहीं करती है तो ऐसा पद अभ्यर्पित कर दिया गया समझा जायेगा और तब तक नहीं भरा जायेगा जब तक कि निदेशक द्वारा उसका सृजन फिर से स्वीकृत न कर दिया जाये।

19/3-B

## 2—परिशिष्ट—क
### (अध्याय—दो, विनियम 1 के सन्दर्भ में)

अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे प्रधान एवं अध्यापको की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें।

किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या निर्गमित किसी विश्वविद्यालय की या किसी ऐसे संस्था की, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी जाती हो या संसद के किसी अधिनियम द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी ऐसी संस्था की सम्बद्ध विषय मे उपाधि और डिप्लोमा इसके अधीन विहित न्यूनतम अर्हताओं के प्रयोजनार्थ मान्य होंगे।

इसके अधीन विहित अर्हताओ के सम्बन्ध मे शब्द 'प्रशिक्षित' से तात्पर्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण अर्हता जैसे पूर्ववर्ती पैरा में यथानिर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या संस्था की एल0टी0, बी0टी0, बी0एड0, बी0एड0 एस—सी0 या एम0एड0 या किसी समकक्ष अर्हता (उपाधि या डिप्लोमा) से है। इसके अन्तर्गत विभागीय ए0टी0सी0 और कम से कम पॉच वर्ष के शिक्षण अनुभव वाला सी0टी0 भी होगा। जे0टी0सी0 / बी0टी0सी0 वाला अध्यापक भी सी0टी0 समझा जायेगा यदि उसने सी0टी0 श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष कार्य किया हो।

### अनिवार्य अर्हतायें

| कम संख्या | पदनाम | शैक्षिक | प्रशिक्षण | अनुभव | आयु | अधिमान अर्हतायें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1— | संस्था का प्रधान<br>(1) प्रशिक्षित एम0ए0 या एम0एस0सी0 या एम0काम0 या एम0एस0सी0 (कृषि) या इसके समकक्ष कोई स्नातकोत्तर या अन्य उपाधि जो उपर्युक्त पैरा में निर्दिष्ट निकाय द्वारा प्रदान की गयी हो और विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण संस्था मे या उपर्युक्त प्रथम पैरा में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से सम्बद्ध किसी उपाधि महाविद्यालय में, या परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से सम्बद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिनकी परीक्षाएं परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त है, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम चार वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाईस्कूल के प्रशिक्षित स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो, प्रतिबन्ध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का/की न हो।<br>या<br>(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ—साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या पन्द्रह वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि।<br>या<br>(3) विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी; प्रतिबन्ध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यकम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यकम उत्तीर्ण करने के पश्चात् क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। | | | | | न्यूनतम 30 वर्ष |

**टिप्पणी—**

(1) कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि तथा मान्यता प्राप्त संस्था की इण्टरमीडिएट कक्षाओं में दस वर्ष का विशिष्ट शिक्षण अनुभव होने पर सहायक अध्यापको को प्रशिक्षण योग्यताओ से छूट दी जा सकती है (अधिनियम में निहित प्राविधान के अनुसार)।

(2) शिक्षण अनुभव में प्रशिक्षण पूर्व अथवा पश्चात् का शिक्षण अथवा दोनों मिलाकर सम्मिलित है।

(3) उच्चतर कक्षाओं का तात्पर्य कक्षा 9 से 12 तक का है और इन कक्षाओ को पढ़ाने का अनुभव इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य पद के लिए मान्य है।

19/3-C

## अध्यापक

राजाज्ञा संख्या 1559/15–8–3031–1973, दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के अनुसार इस राज्य निर्गमन की तिथि को अथवा उसके पश्चात् मान्यता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किए जाने वाले समस्त भाषाओं के अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही हो समय–समय पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित की गई हो जायेगी। परन्तु जिन भाषाओं के अध्यापन की व्यवस्था राजकीय विद्यालयों में नहीं है और अश विद्यालयों में उनका अध्यापन किया जाता है, अशासकीय विद्यालयों में उन भाषाओं के अध्यापकों की अर्हतायें वहीं होंगी जो परिषद् द्वारा निर्धारित है। ऐसे भाषा अध्यापकों के लिए बाद में राजकीय विद्या नियुक्ति हेतु जो अर्हतायें निर्धारित की जायेगी वही अर्हतायें सहायता प्राप्त विद्यालयों में ऐसे पदों पर के लिए लागू होंगी––

| क्रम संख्या | पद नाम | शैक्षिक | प्रशिक्षण | अनुभव | आयु | वरी आ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2– | हिन्दी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11, 12) के लिए | 1–हिन्दी में एम0ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0ए0 अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी।<br>2–प्रशिक्षण योग्यता वरीयान राजाज्ञा संख्याः मा/4428/15–72(13)–76, दिनांक 16 मार्च, 1979 के अनुसार दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के पूर्व हाईस्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के लिए, यदि वे निर्धारित अन्य शैक्षिक योग्यतायें रखते हों, इण्टरमीडिएट कक्षाओं के हिन्दी प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु संस्कृत विषय से बी0ए0 उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा।<br>*3– हिन्दी में एम0ए0 के साथ संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इण्टरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्त अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बी0ए0 में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। | | | | प्र |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9, 10) के लिए | 1–बी0ए0 हिन्दी तथा संस्कृत के साथ इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री।<br>**अथवा**<br>2–बी0ए0 हिन्दी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बी0एड0 या अन्य समकक्ष डिग्री।<br>**नोटः**–विज्ञप्ति संख्याः परिषद–9/133 दिनांक 04 मई, 2016 द्वारा संशोधित। | | | | |

*विज्ञप्ति संख्या परिषद–9/507, दिनांक 11 सितम्बर, 1980 द्वारा सम्मिलित।

19/3-D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3– | गणित अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | (1) एम0 ए0 अथवा एम0 एस0 सी0 गणित<br>अथवा<br>(2)गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बी0ए0 (आनर्स) अथवा बी0एस0सी0 (आनर्स) | | | | प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9, 10) के लिए | बी0ए0 अथवा बी0एस0सी0 गणित | | | | प्रशिक्षित |
| 3(क) | सांख्यिकी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | सांख्यिकी में एम0ए0 या एम0एस0सी0<br>या<br>बी0ए0 या बी0एस0सी0 में पूर्ण विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ गणित में एम0ए0 या एम0एस0सी0<br>या<br>गणित में प्रशिक्षित एम0ए0 या एम0एस0सी0 और किसी विश्वविद्यालय का सांख्यिकी में एक वर्ष का डिप्लोमा | | | | |
| 4 | गृह–विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | (1) गृह–विज्ञान में एम0 एस0 सी0 या गृह अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या गृह कला (होम आर्ट) में एम0ए0<br>या<br>(2) गृह विज्ञान या गृह– अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइन्स) या गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक<br>या<br>राजकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का वर्ष, 1950–54 के बीच का तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम | | | | |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9, 10) के लिए | (1) गृह विज्ञान या गृह– अर्थशास्त्र (होम इकनामिक्स) या घरेलू विज्ञान (डोमेस्टिक साइंन्स)<br>या<br>गृह कला (होम आर्ट) में प्रशिक्षित स्नातक<br>या<br>(2) गृह विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का टी0सी0<br>या<br>(3) राजकीय गृह–विज्ञान महाविद्यालय, इलाहाबाद का वर्ष, 1950–54 के बीच का तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम<br>या<br>(4) लेडी इरविन कालेज, दिल्ली का डिप्लोमा | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5— | अरबी अध्यापक (कक्षा 11—12) के लिए | एम0ए0 अरबी | | | | प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9, 10) के लिए | (1) अरबी के साथ बी0ए0<br>अथवा<br>(2) इण्टरमीडिएट तथा निम्नलिखित में से एक योग्यता—<br>(क) फाजिल, इलाहाबाद<br>अथवा<br>(ख) फाजिल, लखनऊ विश्वविद्यालय<br>अथवा<br>(ग) मौलवी फाजिल, पंजाब विश्वविद्यालय | | | | प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित |
| 6— | अर्थशास्त्र अध्यापक (कक्षा 11—12) के लिए | (1) एम0 ए0 (अर्थशास्त्र)<br>अथवा<br>(2) एम0 काम0 तथा अर्थशास्त्र सहित बी0 काम0<br>अथवा<br>(3) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बी0ए0 (आनर्स) | | | | प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9, 10) के लिए | (1) अर्थशास्त्र वैकल्पिक विषय सहित बी0एस0सी0 (कृषि)<br>अथवा<br>(2) बी0 काम0<br>अथवा<br>(3) अर्थशास्त्र सहित बी0ए0 | | | | प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित |
| 7— | इतिहास अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11—12) के लिए | (1) इतिहास में एम0ए0<br>अथवा<br>(2) प्राचीन भारतीय इतिहास में एम0 ए0<br>(3) इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0ए0 (आनर्स)<br>**टिप्पणी**—मध्यकालीन और आधुनिक कालीन इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद हेतु अर्ह माने जायेंगे। | | | | प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9, 10) के लिए | (1) इतिहास विषय के साथ बी0ए0<br>अथवा<br>(2) प्राचीन भारतीय इतिहास में बी0ए0 (आनर्स)<br>अथवा<br>(3) इतिहास में बी0ए0 सहित राजनीति (इलाहाबाद विश्व— विद्यालय) में एम0 ए0 1951 के पश्चात् की उपाधि | | | | प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | उर्दू , अध्यापक इण्टरमीडिएट (11–12) के लिए | एम0ए0 (उर्दू) प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान | | | | |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9, 10) के लिए | बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0 टी0 या बी0 टी0 या बी0 एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा | | | | |
| 9– | अंग्रेजी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (पो0ग्रेजुएट डिग्री)। किसी ट्रेनिंग कालेज से एल0टी0 कालेज से डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजूकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जायेगी | | | | |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9, 10) के लिए | (1) बी0ए0(अंग्रेजी साहित्य) सहित अथवा *(2) यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डिग्री कालेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ। | | | | प्रशिक्षित |
| 10– | चित्रकला तथा व्यावसायिक कला अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | (1) इण्टरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टीफिकेट (जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सार्टीफिकेट कहलाता था)<br>अथवा<br>(2) प्राविधिक कला के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा–<br>(क) ड्राइंग अथवा पेन्टिग के साथ बी0 ए0<br>अथवा<br>(ख) कला भवन, शन्ति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा<br>अथवा<br>(ग) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा<br>अथवा<br>(घ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा<br>**टिप्पणी**– उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत इण्टरमीडएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक है, परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी। | | | | प्रशिक्षित |

***नोट** :– विज्ञप्ति संख्या परिषद–9 / 279, दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा संशोधित।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | हाईस्कूल (कक्षा 9, 10) के लिए | (1) राजकीय कला और शिल्प विद्यालय, लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सार्टीफिकेट (जो पहले ड्राइंग टीचर्स सार्टीफिकेट कहलाता था)<br>अथवा<br>(2) प्राविधिक कला के साथ उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा<br>अथवा<br>(3) प्राविधिक कला के साथ हाईस्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता:–<br>(क) ड्राइंग अथवा पेंटिग के साथ बी0ए0<br>अथवा<br>(ख) कला भवन, शान्ति– निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा<br>अथवा<br>(ग) राजकीय ड्राइंग और हैन्डीक्रैफ्ट सेन्टर, इलाहाबाद का सर्टीफिकेट<br>अथवा<br>(घ) कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर्सशिप परीक्षा<br>अथवा<br>(ङ) लाहौर के मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा<br>अथवा<br>(च) बम्बई की इण्टरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा<br>अथवा<br>(छ) बम्बई की थर्ड ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा<br>अथवा<br>**टिप्पणी**–(1) उपर्युक्त (2) के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। परन्तु यदि उसे परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है।<br>बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी।<br>(2) उपर्युक्त (3) के अन्तर्गत हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सब के लिए आवश्यक है; परन्तु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है।<br>बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दी जायेगी। | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | तर्कशास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | दर्शन शास्त्र में एम0ए0 अथवा बी0ए0 (आनर्स) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित, साथ में इण्टरमीडिएट अथव बी0ए0 अथवा एम0ए0 में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक विषय रहा हो | | | | प्रशिक्षित |
| 12– | नागरिक शास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | (1) एम0ए0(राजनीति)<br>अथवा<br>(2) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बी0ए0 (आनर्स) | | | | प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | बी0ए0 राजनीति शास्त्र सहित | | | | प्रशिक्षित |
| 13 | पाली अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | 1– पाली में एम0ए0<br>अथवा<br>2– कलकत्ता का पालीतीर्थ पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित<br>3–पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित लंका का त्रिपिटकाचार्य | | | | प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | 1– पाली के साथ बी0ए0 अथवा<br>2– लंका का प्रशिक्षित पंडित, पूर्ण इण्टरमीडिएट सहित | | | | |
| 14 | पंजाबी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा11–12) के लिए | पंजाबी में एम0ए0 | | | | प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | 1– पंजाबी के साथ बी0ए0<br>अथवा<br>2– पंजाबी विश्वविद्यालय का ज्ञानी (पंजाबी में ज्ञानोपाधि) पूर्ण इण्टरमीडिएट के साथ | | | | प्रशिक्षित<br>प्रशिक्षित |
| 15 | फारसी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | एम0ए0 फारसी (प्रशिक्षण वरीयान) | | | | प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | 1– बी0ए0 फारसी सहित तथा एल0टी0 या बी0टी0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा<br>अथवा<br>2– कामिल (इलाहाबाद या लखनऊ विश्व –विद्यालय) रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण सहित | | | | |
| 16 | बंगाली अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | यथा संभव बंगाली में एम0ए0 न मिलने पर बंगाली विषय सहित बी0ए0 | | | | प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | बंगाली विषय के साथ बी0ए0 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | भूगोल अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए<br><br>हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | 1–भूगोल में एम0ए0 अथवा एम0एस0सी0<br>अथवा<br>2– भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमसहित बी0ए0 (आनर्स)<br>अथवा<br>बी0एस0सी0 (आनर्स)<br>भूगोल के साथ बी0ए0 अथवा बी0 एस–सी0 | | | | प्रशिक्षित<br><br>प्रशिक्षित<br><br>प्रशिक्षित |
| 18 | मनोविज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | 1– एम0ए0 (मनोविज्ञान)<br>अथवा<br>2– एम0 एड0 | | | | प्रशिक्षित |
| 19 | मराठी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए<br><br>हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | एम0 ए0 (मराठी)<br><br>बी0ए0 मराठी सहित | | | | <br><br>प्रशिक्षित |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | शिक्षा शास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा–11,12) के लिये | 1–शिक्षा शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0 ए0)<br>अथवा<br>2–एम0 एड0 के साथ बी0ए0 अथवा बी0 एस0 सी0<br>3– एल0टी0 अथवा बी0टी0 अथवा बी0एड0 के साथ मनोविज्ञान में एम0ए0 | |
| 21 | समाज शास्त्र अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | 1– एम0 ए0 (समाज शास्त्र)<br>अथवा<br>2– समाज शास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0ए0 (आनर्स) | प्रशिक्षित<br><br>प्रशिक्षित |
| 22 | सिन्धी अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | इण्टरमीडिएट परीक्षा में सिन्धी<br>अथवा<br>फारसी सहित बी0ए0 | एल0टी0<br>सी0टी0<br>आर0एस0टी0सी0 |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये | इण्टरमीडिएट परीक्षा में सिन्धी<br>अथवा<br>फारसी सहित इण्टरमीडिएट | सी0टी0<br>एस0 टी0 सी0 |

23 सैन्य विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये

1–डिग्री परीक्षा मे सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने एक वर्ष के लिये कमीशन प्राप्त किया हो।

अथवा

2– कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इण्टरमीडिएट अथवा परिषद से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

3– कोई यू0 ओ0टी0 सी0 अथवा ए0 एफ0 (1) अथवा एन0 सी0 सी0 अधिकारी

अथवा

4– हाईस्कूल स्तर तक ज्ञान रखने वाला वायसराय कमीशन

अथवा

5– हाईस्कूल स्तर तक का अंग्रेजी ज्ञान सहित आई0 एन0 ए0 का आफिसर ट्रेनिंग सर्टीफिकेट रखने वाला।

या

6– सैन्य विज्ञान या प्रतिरक्षा अध्ययन एम0 एस–सी0 या सैन्य शिक्षा में एम0 ए0

**टिप्पणी** – मद 6 के अधीन अर्हता नये व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वर्तमान अध्यापक को जो संबंधित विषय में स्नातक हो या किसी अन्य विषय मे स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो और जिसे कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, उपर्युक्त मद (6) में दी गयी अर्हता से छूट होगी।

24 संगीत अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये

(क) संगीत में एम0 ए0

या

(ख) भातखंडे विद्यापीठ, लखनऊ की निपुण परीक्षा,

या

(ग) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा,

या

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा–

1– भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा।

अथवा

2– प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा

अथवा

3– गन्धर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा

अथवा

4– माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न)

अथवा

5– शंकर गन्धर्व विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा

अथवा

6– इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा

अथवा

(ड़) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का संगीत विषय के साथ बी0 ए0

अथवा

(च) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का बी0 टी0 डिप्लोमा

अथवा

(छ) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एल0 टी0 एम0 डिप्लोमा

हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा

अथवा

समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा––

1– भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा

अथवा

2– प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा

अथवा

3– गंधर्व महाविद्यालय, बम्बई की संगीत विशारद परीक्षा

अथवा

4– माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा (संगीत रत्न)

अथवा

5– शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा

अथवा

6– इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा

(ख) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद का बी0 टी0 डिप्लोमा

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (ग) भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ का एल0 टी0 एम0 डिप्लोमा बालिका विद्यालयों में 31 मार्च, 1957 से पूर्व कार्य करने वाले पुरुष संगीत अध्यापक किसी भी संस्था में संगीत अध्यापक के पद के पात्र समझे जायं, इस प्रतिबन्ध के साथ कि अपनी नियुक्ति के समय वे परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करते हैं तथा उन्होंने 31 मार्च, 1957 से पूर्व 3 वर्ष की अविरल सेवा की है। 31 मार्च, 1957 के पश्चात् निर्धारित नवीन न्यूनतम योग्यतायें उनके लिए लागू न होंगी।<br>अथवा<br>(घ) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा, उपर्युक्त डिप्लोमा सम्पन्न तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले और जून, 1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जायेगें। | |
| 25 | संस्कृत अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | 1– संस्कृत में एम0 ए0<br>अथवा<br>राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी (अब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी) अथवा हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी का सम्पूर्ण आचार्य<br>2– प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान | प्रशिक्षित |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये | 1– बी0ए0 संस्कृत सहित तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष् शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा<br>अथवा<br>2– वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एल0टी0 या बी0टी0 या अन्य समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा | |
| 26 | औद्योगिक रसायन अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | 1– बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से एम0 एस0–सी0 (प्राविधिक)<br>अथवा<br>2– एम0 एस–सी0 (रसायन शास्त्र) तथा राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ से औद्योगिक रसायन में एल0 टी0<br>अथवा | प्रशिक्षित |

| | | |
|---|---|---|
| | 3– एफ0 एच0 बी0टी0आई0 के साथ बी0 एस-सी0 अथवा ए0एच0बी0टी0आई0, कानपुर के साथ बी0एस–सी0<br>अथवा<br>4– राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 के साथ बी0 एस-सी0 (औद्योगिक रसायन)<br>अथवा<br>5– राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 डिप्लोमा के साथ बी0 एस–सी0 (प्राविधिक) | |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिय | 1– बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से बी0एस0सी0 (औद्योगिक रसायन)<br>अथवा<br>2– राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से औद्योगिक रसायन से एल0टी0 के साथ बी0 एस–सी0 (रसायन शास्त्र)<br>अथवा<br>3– एफ0 एच0 बी0 टी0 आई0 के साथ बी0 एस-सी0 अथवा ए0 एच0बी0टी0आई0, कानपुर के साथ बी0 एस–सी0 | |
| 27 कुलाल विज्ञान अध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट (कक्षा 9–12) के लिए | कुलाल विज्ञान के साथ बी0 एस–सी0, एल0टी0 (रचनात्मक) अथवा कुलाल विज्ञान के साथ बी0एस–सी0 (प्राविधिक) | प्रशिक्षित |
| 28 जीव विज्ञान अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | 1– वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु विज्ञान में एम0 एस–सी0<br>अथवा | प्रशिक्षित |
| | 2– कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एम0 एस–सी0, बी0 एस–सी0 में जन्तु विज्ञान<br>अथवा | प्रशिक्षित |
| | 3– कृषि विषयक जन्तु विज्ञान के साथ एम0 एस–सी0, बी0 एस–सी0 में वनस्पति विज्ञान<br>अथवा | प्रशिक्षित |
| | *4–यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से एम0एस0 सी0 लाइफ साइंस<br>अथवा | प्रशिक्षित |
| | *5–किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा आयोजित जीवविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0 | प्रशिक्षित |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान) के साथ बी0एस0सी0 | प्रशिक्षित |

* विज्ञप्ति संख्या परिषद/09, दिनांक 10 अप्रैल, 2010 द्वारा संशोधित।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29 | भू–विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | एम0एस–सी0 (भूगर्भ शास्त्र) | प्रशिक्षित |
| 30 | भौतिक विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | 1–एम0 एस–सी0, (भौतिक विज्ञान)<br>अथवा<br>2–किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0 एस–सी0 | प्रशिक्षित |
| 31 | रसायन विज्ञान अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | 1– रसायन विज्ञान में एम0एस–सी0<br>अथवा | प्रशिक्षित |
| | | 2– रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बी0एस–सी0 (आनर्स)<br>अथवा<br>*3–यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित विश्वविद्यालय/डिग्रीकालेज से एम0एस0 सी0 बायो केमिस्ट्री<br>अथवा<br>*4–किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग उ0प्र0 द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0 | प्रशिक्षित |
| 32 | विज्ञान अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9 और 10) के लिए | भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बी0 एस–सी0<br>बी0 एस–सी0 | प्रशिक्षित |
| 33 | विज्ञान के प्रदर्शक | बी0 एस–सी0 | प्रशिक्षित |
| 34 | आशुलेखन – टंकण अध्यापक<br>(क) अग्रेंजी में | माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश का आशुलेखन टंकण के साथ इण्टरमीडिएट वाणिज्य–ग–वाणिज्य द्वितीय वर्ग की वरीयता–– | |
| | (ख) हिन्दी में | इण्टरमीडिएट तथा निम्नलिखित में से एक योग्यता<br>(1) नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी का शीध्र लिपि में हिन्दी संकेत लिपि विशारद<br>अथवा<br>(2) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद का शीध्र लिपि विशारद<br>अथवा<br>आशु टंकण (हिन्दी) के साथ इण्टरमीडिएट वाणिज्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के ग–वाणिज्य–दो वर्ग की वरीयता देते हुए | |
| 35 | वाणिज्य अध्यापक––<br>इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए<br>हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | एम0 काम0<br>प्रशिक्षित बी0 काम0 | |

* विज्ञप्ति संख्या परिषद/09, दिनांक 10 अप्रैल, 2010 द्वारा संशोधित।

| | | |
|---|---|---|
| 36 | कताई और बुनाई अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | क–कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0<br>अथवा<br>ख– इण्टरमीडिएट तथा<br>(1) राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन प्रोद्योग में डिप्लोमा तथा हाईस्कूल कक्षाओं में विषय में 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव<br>(2) राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट, कानपुर का डिप्लोमा<br>अथवा<br>(3) उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यकम) |
| | हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये | (क) कताई और बुनाई में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा टी0 सी0<br>अथवा<br>(ख) 1– कताई और बुनाई के साथ इण्टरमीडिएट<br>अथवा<br>2– राजकीय सेन्ट्रल टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट, कानपुर से इण्टर–मीडिएट प्राविधिक,<br>अथवा<br>3– हाईस्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय वयन संस्थान, वाराणसी से वयन उद्योग में डिप्लोमा,<br>अथवा<br>4– हाईस्कूल तथा उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कताई और बुनाई में एडवान्स्ड क्लास परीक्षा (तीन वर्षीय पाठ्यकम) |

**टिप्पणी**– हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिये (ख) के अन्तर्गत योग्यतायें वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिये। सुपात्रों को इस अ विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

| | | |
|---|---|---|
| 37 | काष्ठ कला अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | (क) काष्ठ में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0,<br>अथवा<br>(ख) इण्टरमीडिएट, और<br>(1) राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली में एडवान्स केबिनेट मेकिंग डिप्लोमा,<br>अथवा<br>(2) राजकीय कारपेन्टरी स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद) |

| | |
|---|---|
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | (क) काष्ठ कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0 टी0 अथवा टी0 सी0<br>अथवा<br>(ख) 1–काष्ठ कला के साथ इण्टरमीडिएट<br>2– हाईस्कूल तथा राजकीय केन्द्रीय काष्ठ कला संस्थान, बरेली की एलीमेन्टरी केबिनेट मेकिंग सर्टीफिकेशन,<br>अथवा<br>3– हाईस्कूल तथा राजकीय कारपेन्टर स्कूल, इलाहाबाद (अब राजकीय वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद) से जनरल वुड वर्किंग सर्टीफिकेट। |

**टिप्पणी**– हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों ही कक्षाओं के लिये (ख) के अन्तर्गत् योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापक विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

| | |
|---|---|
| 38 ग्रन्थ शिल्प अध्यापक,इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ एल0टी0 |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये | 1– ग्रन्थ शिल्प में विशेष योग्यता सहित राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 अथवा टी0सी0<br>अथवा<br>2– ग्रन्थ शिल्प से साथ इण्टर–मीडिएट सी0 टी0 |
| 39 चर्मकला अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | चर्मकला सहित इण्टरमीडिएट तथा लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट कानपुर, आगरा अथवा मेरठ से एडवांस्ड कोर्स |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | हाईस्कूल तथा उद्योग विभाग द्वारा संचालित लेदर वर्किंग इन्स्टीट्यूट कानपुर, आगरा<br>अथवा<br>मेरठ का डिप्लोमा |

**टिप्पणी**–चर्मकला की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को समान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

| | |
|---|---|
| 40 धातुकला अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | क– धातुकला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल0टी0<br>अथवा<br>ख– 1–धातु कला के साथ इण्टरमीडिएट तथा राजकीय आकुपेशनल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद में जनरल मैकेनिकल का ए पाठ्यक्रम।<br>2– इण्टरमीडिएट तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्राविधिक संस्थान से धातु कला में डिप्लोमा। |

| | | |
|---|---|---|
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये | (क) धातु कला में विशेष योग्यता सहित राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय से एल0टी0 अथवा सी0टी0<br>अथवा<br>(ख) हाईस्कूल तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के पश्चात् सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से दिया जाने वाला डिप्लोमा। | |

**टिप्पणी**–'ख' अन्तर्गत् योग्यता रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

| | | |
|---|---|---|
| 41 धुलाई, रफू और बखिया तथा रंगाई शिक्षक हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल, इन्स्टीट्यूट, कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा बालकों की संस्थाओं के लिए उद्योग विभाग द्वारा मान्य समकक्ष योग्यता अथवा पोलीटेक्निक, रामपुर और बापू इन्डस्ट्रियल स्कूल, देहरादून अथवा उसके समकक्ष बालिकाओं की संस्थाओं के लिए प्रमाण पत्र। | |
| 42 रंगाई तथा छपाई अध्यापक हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | राजकीय केन्द्रीय टेक्सटाइल्स इन्स्टीट्यूट कानपुर से वस्त्र रसायन में डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। | |

**टिप्पणी**– ऊपर की योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को सामान्यतः स्थायीकरण से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

| | | |
|---|---|---|
| 43 सिलाई अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | (क) सिलाई के साथ इण्टरमीडिएट<br>(ख) इण्टरमीडिएट तथा<br>1– प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन से डिप्लोमा<br>अथवा<br>2–आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टी–ट्यूट लखनऊ से डिप्लोमा तथा हाईस्कूल कक्षाओं में विषय के 3 वर्ष के अध्यापन का अनुभव,<br>अथवा<br>3– सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात् दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा। | सी0टी0 सिलाई में विशेष योग्यता |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिये | (क) 1– इण्टरमीडिएट सी0टी0 (इण्टरमीडिएट में सिलाई सहित अथवा सी0टी0 में सिलाई में विशेष योग्यता)<br>(ख) हाईस्कूल तथा<br>(1) प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन से डिप्लोमा<br>अथवा<br>(2) आर्य समाज टेलरिंग इन्स्टीट्यूट आर्य समाज रोड, लखनऊ से डिप्लोमा<br>अथवा<br>(3) सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात दिया जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा | |

**टिप्पणी**– (ख) के अन्तर्गत् योग्यतायें रखने वाले अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति से पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा संचालित अथवा स्वीकृत अध्यापन विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण सामान्यतः पूर्ण करना चाहिए। सुपात्रों को इस अध्यापन विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण से छूट दी जा सकती है।

| | |
|---|---|
| 44 नृत्य अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिये | माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता सहित–– (1) भातखंड संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद् परीक्षा (2) प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा (3) माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा नृत्य विशारद् (4) अखिल भारतीय गन्धर्व महा–विद्यालय मंडल, बम्बई के 1961 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद् |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | (क) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा, निम्न–लिखित में से कोई एक योग्यता सहित–– 1– भातखंड संगीत विद्यापीठ, लखनऊ की नृत्य विशारद् परीक्षा, 2– प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद की नृत्य प्रभाकर परीक्षा, 3– माधो संगीत विद्यालय, ग्वालियर की फाइनल परीक्षा. नृत्य विशारद् 4– अखिल भारतीय गन्धर्व महा–विद्यालय, मंडल, बम्बई के 1961 के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार नृत्य में संगीत विशारद् (ख) नृत्य के साथ बी0 ए0। |
| 45 मूर्ति कला अध्यापक, इण्टरमीडिएट कक्षा (11–12) के लिए | हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय से मूर्तिकला विषय सहित ललित कला में डिप्लोमा। |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय जैसे–मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन से मूर्तिकला में प्रमाण–पत्र अथवा डिप्लोमा। |
| 46 रंजन कला अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी कला विद्यालय से चित्र लेखन सहित ललित कला में डिप्लोमा। |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | हाईस्कूल तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से चित्र लेखन सहित विद्यालय (जैसे–मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, बम्बई और शान्ति निकेतन) से रंजन कला सहित ललित कला अथवा व्यावसायिक कला में डिप्लोमा। |

| | | |
|---|---|---|
| 47 कृषि अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए– | | |
| (1) कृषि | एम0 एस–सी0 (कृषि) | प्रशिक्षित |
| (2) कृषि अभियंत्रण | बी0 एस–सी0 (कृषि अभियंत्रण) | प्रशिक्षित |
| (3) गणित | गणित अथवा स्टेटिस्टिक्स में एम0 ए0 अथवा एम0 एस–सी0 | प्रशिक्षित |
| (4) हिन्दी, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, (जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के लिए) | इन विषयों में वही न्यूनतम अर्हताएं लागू होगीं जो मुख्यं विषयों के लिए इसी सूची में दी गई है। | |
| (5) प्रदर्शक कृषि | कृषि में बी0 एस–सी0 | |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | बी0 एस–सी0 (कृषि) | प्रशिक्षित |
| 48 कृषि गोपालन अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | एम0 एस–सी0 (कृषि) | एल0टी0 (बेसिक) |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | बी0 एस–सी0 (कृषि) | प्रशिक्षित एल0टी0 (बेसिक) |
| 49 बागवानी अध्यापक,. इण्टरमीडिएट तथा हाईस्कूल (कक्षा 9–12) के लिए | बी0 एस–सी0 (कृषि) | प्रशिक्षित |
| 50 वस्त्र उद्योग अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | स्नातक तथा कताई–बुनाई सहित इण्टरमीडिएट परीक्षा, साथ में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई के क्षेत्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग विद्यालय का डिप्लोमा। | प्रशिक्षित |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | कताई–बुनाई के साथ हाईस्कूल परीक्षा | रचनात्मक अथवा रचनात्मक एल0टी0 (बेसिक) |
| 51 सामान्य वस्त्रोद्योग अध्यापक | उपर्युक्त् 51 के समान | |
| 52 गुजराती अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | एम0 ए0, गुजराती | |
| 53 शारीरिक शिक्षा अध्यापक, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | 1– स्नातक तथा<br>2– राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा किसी अध्यापक प्रशिक्षण (एल0टी0) महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व–विद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में उपाधि/डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष् कोई अन्य योग्यता। | प्रशिक्षित |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र अथवा उसके समकक्ष् कोई अन्य अर्हता<br>एवं<br>राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सी0पी0एड0 प्रमाण–पत्र अथवा उसके समकक्ष् कोई अन्य अर्हता। | |

| | |
|---|---|
| 54 सामाजिक विज्ञान हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | निम्नलिखित किन्हीं प्रशिक्षित दो विषयों के साथ बी0 ए0।<br>1– इतिहास<br>2– राजनीति शास्त्र<br>3– भूगोल<br>4– अर्थशास्त्र |
| 55 सामुदायिक रहन–सहन तथा संबंधित विज्ञान, इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | एम0 ए0 (इतिहास)<br>अथवा<br>एम0 ए0 (समाज शास्त्र)<br>अथवा<br>एम0 ए0 (राजनीति शास्त्र)<br>अथवा<br>एम0 ए0 (अर्थशास्त्र) |
| 56 कम्प्यूटर अध्यापक इण्टरमीडिएट (कक्षा 11–12) के लिए | एम.टेक.(कम्प्यूटर विज्ञान) अथवा बी.ई. /बी.टेक. (कम्प्यूटर विज्ञान) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से।<br>अथवा<br>एम.सी.ए. अथवा एम.एस.सी. कम्प्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से अथवा 'बी'' लेविल आफ डी.ओ.ई.ए.सी.सी.।<br>अथवा<br>स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पी.जी. डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से।<br>अथवा<br>स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बी.एम.एस. (कम्प्यूटर कोर्स कम्पोनेन्ट कनसेसटिंग आफ एट लिस्ट 1/3 आफ साइंस कोर्स) किसी मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से।<br>अथवा<br>स्नातकोत्तर डिग्री के साथ 'ए'' लेविल आफ डी.ओ.ई.ए.सी.सी.। |
| हाईस्कूल (कक्षा 9–10) के लिए | बी0 एस–सी0 कम्प्यूटर विज्ञान के साथ<br>अथवा<br>बी0एस0सी0 कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ<br>अथवा<br>बेचलर कम्प्यूटर एप्लीकेशन के साथ<br>अथवा<br>डी0ओ0ए0ई0 से 'ए'' लेविल कोर्स के साथ स्नातक<br>अथवा<br>पी0जी0 (डिप्लोमा) (कम्प्यूटर विज्ञान के साथ) किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से।<br>**नोटः**–बी0एड0 के साथ उपर्युक्त में से किसी भी योग्यता वालों को प्राथमिकता दी जायेगी। |

| | |
|---|---|
| 57 मानव विज्ञान अध्यापक इण्टरमीडिएट कक्षा 11-12 के लिए | मानवविज्ञान से एम0ए0<br>अथवा<br>एम0एस0सी0 |
| हाईस्कूल कक्षा 9-10 के लिए | मानवविज्ञान विषय के साथ स्नातक तथा प्रशिक्षित |

प्राविधिक विषयों के अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यतायें:-

| | |
|---|---|
| (1) सामान्य अभियंत्रण लेक्चरर हाईस्कूल के लिए | एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था के अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) |
| (2) , वास्तु अभियंत्रण यांत्रिक अभियंत्रण विद्युत अभियंत्रण (इंटरमीडिएट कक्षाओं) के लिए लेक्चरर (3) नक्शानवीन में लेक्चरर | एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता- प्राप्त संस्था के अभियत्रण की संबंधित शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) डिप्लोमा<br>अथवा |
| (3) नक्शानवीन में लेक्चरर | एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से नक्शानवीनी<br>अथवा<br>अभियंत्रण की किसी शाखा में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) |
| (4) रेखांकन शिक्षक | हाईस्कूल परीक्षा के बाद नक्शानवीनी<br>अथवा<br>अभियंत्रण में डिप्लोमा |
| (5) मिस्त्री | लोहारी, सांचे का काम, खराद का काम, सज्जीकरण आदि में से एक दो व्यवसायों में कम से कम दो वर्ष के कार्य का अनुभव, मान्यता प्राप्त संस्था से व्यवसाय या व्यवसायों में प्रमाण-पत्र रखने वालों को वरीयता दी जायेगी। |
| (6) मुद्रण कार्य के अध्यापक (कक्षा 9 से 12) | 1- स्नातक विज्ञान में वरीयमान जिन्होंने राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ से एल0टी0 में ग्रन्थ शिल्प तथा मुद्रण में अपना-अपना विशेष विषय दिया हो और जिन्हें कम से? कम 6. मास का क्रियात्मक प्रशिक्षण किसी मुद्रण संस्थान में हो,<br>2- एक उच्चतर स्तर के मुद्रण संस्थान में कम्पोजिंग, मुद्रण और जिल्दबाजी के कम से कम पांच वर्ष के कियात्मक प्रशिक्षण के साथ हाईस्कूल।<br>अथवा<br>3- मुद्रण प्रयोग के किसी मण्डलीय विद्यालय का डिप्लोमा रखने वाले। |

## (1) हाईस्कूल प्राविधिक के लिये अध्यापक

| | |
|---|---|
| (1) काष्ठ कला में | एक मान्यता प्राप्त संस्था से (हाईस्कूल परीक्षाके बाद तीन वर्ष का) विशेष विषय में डिप्लोमा। |
| (2) बुनाई में | उपर्युक्त् |
| (3) चर्म कला | 1– उपर्युक्त्<br>अथवा<br>2– हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित फूटवियर टेक्नोलाजी (लेदर गुड्स मैनफैक्चर सहित) का दो वर्ष का डिप्लोमा। |
| (4) विद्युतकार के लिए विद्युत वायरिंग<br>(5) हलके यांत्रिक<br>(6) बढ़ईगीरी<br>(7) धातु फलक कर्म<br>(8) वेल्डिंग और सोल्डरिंग | एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अथवा विद्युत अभियंत्रण में (तीन वर्ष का) डिग्री अथवा डिप्लोमा। |

## (2) इण्टरमीडिएट प्राविधिक के लिये लेक्चरर

| | |
|---|---|
| (1) वस्त्र निर्माण<br>(2) वस्त्रों का रासायनिक प्रोद्योग | एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से वस्त्र उद्योग में डिग्री अथवा डिप्लोमा (हाईस्कूल परीक्षा के बाद तीन वर्ष का) |
| (3) प्राथमिक इलेक्ट्रानिक्स | एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत अभियंत्रण अथवा दूरसंचार अथवा इलेक्ट्रानिक्स में डिग्री अथवा डिप्लोमा। |
| (4) प्राथमिक मोटरयान अभियंत्रण | एक विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्री अथवा डिप्लोमा। |

**टिप्पणी**– (क) लैटिन और फ्रान्सीसी के अध्यापकों के लिये न्यूनतम योग्यतायें नहीं निर्धारित की गयी हैं।
(ख) आनर्स स्नातक (त्रिवर्षीय पाठ्यकम) कक्षा 11 और 12 को उन विषयों के पढ़ाने के पात्र समझे जायेगें जिनमें उन्होनें आनर्स किया है।

## अन्य अध्यापक

| | |
|---|---|
| (1) अध्यापक जूनियर कक्षाओं (कक्षा 6,7 और 8) के लिये | सी0टी0.सवर्ग मृत घोषित होने के कारण श्रेणी विलुप्त। |
| (2) हटा दिया गया। | |
| (3) ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्व प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत् वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में होने वाली रिक्तियों की भर्ती हेतु (कक्षा 1 से 5 तक)। | स्नातक परीक्षा के साथ सी0टी0/बी0टी0सी0/एच0टी0सी0 या समकक्ष अर्हता किन्तु बी0टी0सी0 प्रशिक्षित उपलब्ध न होने की दशा में बी0एड0 अर्हताधारी नियुक्त किये जा सकेगे। |

## हाईस्कूल परीक्षा (पूर्व व्यावसायिक शिक्षा)

| *ट्रेड का नाम | अनुदेशकों हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता |
|---|---|
| (एक) सुरक्षा | 1–पी0जी0 डिप्लोमा इन सिक्योरिटी आपरेन्शन्स<br>अथवा<br>इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी/सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट में स्नातक की डिग्री<br>अथवा<br>स्नातक के साथ एन0सी0सी0 का सी0 प्रमाणपत्र धारी<br>अथवा<br>स्नातक के साथ सब फायर आफीसर डिप्लोमा<br>तथा<br>एक वर्ष का सुरक्षा सेवाओं का अनुभव अनिवार्य। |
| (दो) रिटेल ट्रेडिंग | 1–पी0जी0 डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेण्ट।<br>अथवा<br>डिप्लोमा इन ई–कामर्स<br>अथवा<br>बी0काम0/बी0बी0ए0/बी0एम0एस0/ 50 प्रतिशत अंको के साथ<br>अथवा<br>बी0काम0+इण्टरमीडिएट व्यावसायिक शिक्षा में कामर्स ट्रेड से उत्तीर्ण।<br>तथा<br>एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव अनिवार्य। |
| (तीन) टूरिज्म एवं हास्पिटलिटी | होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी का तीन वर्षीय डिप्लोमा<br>अथवा<br>स्नातक के साथ कैटरिंग एवं हास्पिटलिटी का NCVTद्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र। |
| (चार) मोबाइल रिपेयरिंग | 1–स्नातक के साथ मोबाइल रिपेयरिंग/कम्प्यूटर मेन्टीनेन्स का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र।<br>तथा<br>एक वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य। |
| (पॉच) आटोमोबाइल | 1–आटोमोबाइल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा<br>अथवा<br>बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग/ आटोमोबाइल<br>अथवा<br>10+2 के साथ आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आई0टी0आई0प्रमाण पत्र।<br>अथवा<br>स्नातक तथा (10+2) इन्टरमीडिएट व्यावसायिक वर्ग के साथ 01 वर्ष का अध्यापन अनुभव<br>तथा<br>कम से कम 01 वर्षीय कार्य अनुभव अनिवार्य। |

*विज्ञप्ति संख्या परिषद/600, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा संशोधित।

# इण्टरमीडिएट परीक्षा(व्यावसायिक शिक्षा)

| *ट्रेड का नाम | अनुदेशकों हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता |
|---|---|
| (एक) सुरक्षा | 1–पी0जी0 डिप्लोमा इन सिक्योरिटी आपरेशन्स<br>अथवा<br>इण्डस्ट्रियल सिक्योरिटी / सिक्योरिटी मैनेजमेन्ट में स्नातक की डिग्री।<br>तथा<br>दो वर्ष का उद्योग जगत का अनुभव अनिवार्य। |
| (दो) रिटेल ट्रेडिंग | 1–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम0काम0 अथवा एम0बी0ए0 की डिग्री।<br>अथवा<br>पी0जी0 डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेन्ट<br>तथा<br>एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव अनिवार्य। |
| (तीन) टूरिज्म एवं हास्पिटलिटी | 1–होटल प्रबन्धन एवं पर्यटन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।<br>अथवा<br>स्नातक के साथ तीन वर्ष का होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग टेक्नॉलाजी का डिप्लोमा<br>तथा<br>तीन वर्ष का सम्बन्धित क्षेत्र में अनुभव अनिवार्य। |
| (चार) मोबाइल रिपेयरिंग | 1–स्नातक के साथ मोबाइल रिपेयरिंग / कम्प्यूटर मेन्टीनेन्स का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र।<br>तथा<br>दो वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य। |
| (पाँच) आटोमोबाइल | 1–स्नातक तथा डिप्लोमा (मैकेनिकल / आटोमोबाइल)<br>अथवा<br>डिग्री इन आटोमोबाइल अथवा मैकेनिकल इंजी0<br>अथवा<br>स्नातक तथा ITI (मेके0) एवं 5 वर्ष का कार्य अनुभव |

* विज्ञप्ति संख्या परिषद / 600, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा सम्मिलित।

## हाईस्कूल परीक्षा(पूर्व व्यावसायिक शिक्षा)

| क्रम | ट्रेड का नाम | न्यूनतम अर्हता |
|---|---|---|
| **1– | आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0 | कम्प्यूटर साइन्स स्नातक / इंजीनियरिंग / इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी–"ओ" लेवल या समकक्ष |

## इण्टरमीडिएट परीक्षा–व्यावसायिक शिक्षा

| क्रम | ट्रेड का नाम | न्यूनतम अर्हता |
|---|---|---|
| **1– | आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0 | कम्प्यूटर विज्ञान / प्रौद्योगिकी / अनु प्रयोग या सूचना तकनीकी में परास्नातक–"बी" लेवल |

## रिवाइज्ड व्यावसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत
## कक्षा– 9,10,11 एवं 12
## आई0टी / आई0टी0ई0एस0

| क्र0स0 | योग्यता | न्यूनतम दक्षताएं | आयु सीमा |
|---|---|---|---|
| **1 (कक्षा–9 से 12) | किसी भी यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0सी0 ए0 / बी0 एस0 सी0 (कम्प्यूटर साइन्स), बी0 एस0सी0 (आई0टी0)<br>या<br>कम्प्यूटर साइन्स और इंजीनियरिंग या आई0टी0 / आई0टी0ई0एस0 या डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 स्तर में तीन वर्ष का डिप्लोमावांछनीय।<br>उद्योग में एक वर्ष का अनुभव। | प्रभावी संचार कौशल(मौखिक और लिखित)<br><br>मूलभूत कम्प्यूटर कौशल | 18–37 वर्ष।<br>सरकारी नियमों के अनुसार आयु मे छूट दी जायेगी। |

## आटोमोबाइल

| क्र0स0 | योग्यता | न्यूनतम दक्षताएं | आयु–सीमा |
|---|---|---|---|
| **कक्षा 9–12 | आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा एवं दो वर्षों का अनुभव या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चार वर्षीय स्नातक उपाधि एवं एक वर्ष का अनुभव या आटोमोबाइल तकनीकी में डिप्लोमा न उपलब्ध होने की स्थिति में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर विचार किया जा सकता है। | मूलभूत कम्प्यूटर कौशल। | 18–37 वर्ष।<br>सरकारी नियमों के अनुसार आयु मे छूट दी जायेगी। |

** विज्ञप्ति संख्या परिषद–9 / 676, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा सम्मिलित।

## सुरक्षा

| क्र0स0 | योग्यता | न्यूनतम दक्षताएं | आयु–सीमा |
| --- | --- | --- | --- |
| **कक्षा 9–12 | 1– किसी भी वर्ग में स्नातक<br>उपर्युक्त के साथ सुरक्षा में एक वर्ष के कार्यानुभव के साथ सुरक्षा में डिप्लोमा या डायरेक्टर जनरल री–सेटेलमेण्ट द्वारा संचालित सहायक सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रमाणन कोर्स या सिक्योरिटी नॉलेज एण्ड स्किल डेवलपमेण्ट कौंसिल द्वारा संचालित प्रशिक्षक प्रशिक्षण कोर्स सुरक्षा में दो वर्ष के कार्यानुभव के साथ।<br>2– पूर्व कर्मचारियों को वरीयता दी जायेगी।<br>3– पूर्व कर्मचारी जिन्होंने सशस्त्र बलों में 10 वर्ष सेवा प्रदान की है वे अनुभव वाली शर्त से मुक्त रहेंगे। | 1–प्रभावी संप्रेषण कौशल (मौखिक और लिखित)<br>2–आधारभूत संगणना कौशल<br>3–तकनीकी दक्षताएं | 18–37 वर्ष। सरकारी नियमों के अनुसार आयु मे छूट दी जायेगी। |

## रिटेल

| क्र0स0 | योग्यता | न्यूनतम दक्षताए | आयु–सीमा |
| --- | --- | --- | --- |
| **कक्षा 9–12 | कम से कम 50 प्रतिशत अंक और एक वर्ष के अनुभव के साथ मार्केटिंग में रिटेल मैनेजमेण्ट, पी0जी0 डिप्लोमा में स्नातक या डिप्लोमा। रिटेल मैनेजमेण्ट में एम0बी0ए0(रिटेल मार्केटिंग) और पी0जी0 डिप्लोमा के साथ उच्च शिक्षा के लिए तैयारी योग्य। | तकनीकी दक्षताएं उदाहरण के लिए मार्केटिंग, बिक्री, संवर्द्धन, स्टोर रख – रखाव और मर्चेण्डाइजिंग आदि जैसे क्षेत्रों में । | 18–37 वर्ष। सरकारी नियमों के अनुसार आयु मे छूट दी जायेगी। |

** विज्ञप्ति संख्या परिषद–9/676, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा सम्मिलित।

## अध्याय–दो (विनियम-1 के संदर्भ में)

| क्रमांक | ट्रेड का नाम | शैक्षिक अर्हता |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | खाद्य एवं फल संरक्षण | बी0एस0सी0 (ए0जी0)/बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फ्रूट एवं वेजिटेबिल टेक्नालाजी स्नातक तथा एक वर्षीय डिप्लोमा/स्नातक तथा न्यूनतम 6 माह का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 2 | पाक शास्त्र | बी0एस0सी0 (गृह विज्ञान)/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 6 माह का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 3 | हाथ की कढ़ाई/परिधान रचना एवं सज्जा | पालिटेक्निक डिप्लोमा/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय प्रशिक्षण के साथ 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 4 | धुलाई रंगाई | स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा/एक वर्ष का सर्टीफिकेट कोर्स या एडवांस ड्राइंग कोर्स मान्यता प्राप्त संस्था से एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 5 | बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी | स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से न्यूनतम 6 माह का प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 6 | टेक्सटाइल डिजाइन | स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 7 | बुनाई-तकनीक | स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्ष का डिप्लोमा एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 8 | नर्सरी शिक्षण प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध | स्नातक तथा नर्सरी ट्रेनिंग अथवा समकक्ष अर्हता। |
| 9 | पुस्तकालय विज्ञान | स्नातक तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाण-पत्र एवं पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 10 | बुनियादी स्वास्थ्य कार्मिक | स्नातक तथा फार्मेसिस्ट ट्रेनिंग/पब्लिक हेल्थ एण्ड हाइजीन डिप्लोमा/बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान) एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 11 | फोटोग्राफी | स्नातक तथा मान्यता प्राप्त संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा अथवा स्नातक, आर्किल इन्स्ट्रूमेन्टेशन डिप्लोमा अथवा एम0एस0सी0 (भौतिक विज्ञान) स्ट्रेफूटोस्कोपने के साथ/स्नातक तथा मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा एवं 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 12 | रंगीन टी0वी0/रेडियो | स्नातक तथा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रानिक्स अथवा डिग्री इन इलेक्ट्रानिक्स। |
| 13 | आटोमोबाइल्स | स्नातक तथा डिप्लोमा अथवा डिग्री इन आटोमोबाइल्स अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। |
| 14 | मधुमक्खी पालन | एम0एस0सी0(ए0जी0), उद्यान विज्ञान, कीट विज्ञान अथवा कृषि स्नातक सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा। |
| 15 | डेरी उद्योग | एम0एस0सी0(ए0जी0), पशुपालन विज्ञान अथवा दुग्ध विज्ञान या डेरी डिप्लोमा या कृषि स्नातक एवं सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा या बी0एस0सी0(कृषि एवं पशुपालन विज्ञान)। |

क्रमशः

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16 | रेशम कीट पालन | एम0एस0सी0(ए0जी0) तथा विषय में विशेष योग्यता अथवा कृषि स्नातक सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा। |
| 17 | बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी | एम0एस0सी0(ए0जी0) बीज प्रौद्योगिकी शस्य विज्ञान/वनस्पति विज्ञान अथवा कृषि स्नातक और सीड टेक्नोलाजी में डिप्लोमा। |
| 18 | फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी | एम0एस0सी0(ए0जी0), पादप रोग विज्ञान/कीट विज्ञान/शस्य विज्ञान अथवा कृषि स्नातक (सम्बन्धित विषय में डिप्लोमा)। |
| 19 | पौधशाला प्रौद्योगिकी | एम0एस0सी0(ए0जी0) उद्यान अथवा शस्य विज्ञान/कृषि स्नातक एवं एक वर्षीय प्रशिक्षण तथा पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 20 | भूमि संरक्षण प्रौद्योगिकी | एम0एस0सी0(ए0जी0) भूमि संरक्षण/शस्य विज्ञान। |
| 21 | फल संरक्षण प्रौद्योगिकी | क्रम संख्या 1 में समाहित कर दिया गया है। |
| 22 | आशुलिपिक एवं टंकण | एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता/बी0काम0 एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आशु0 एवं टंकण में डिप्लोमा/बी0काम0 तथा सम्बन्धित ट्रेड में प्रमाण-पत्र तथा 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 23 | एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण | एम0काम0 तथा विषय में विशेष योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता। |
| 24 | बैंकिंग | एम0काम0 तथा विषय में विशेष योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता। |
| 25 | विपणन एवं विक्रय कला | एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता। |
| 26 | सचिवीय पद्धति | एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता। |
| 27 | बीमा | एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता। |
| 28 | सहकारिता | एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता। |
| 29 | टंकण हिन्दी एवं अंग्रेजी | एम0काम0 तथा विषय में विशिष्ट योग्यता अथवा एम0ए0 अर्थशास्त्र तथा बी0काम0 एवं सम्बन्धित विषय में विशेष योग्यता/बी0काम0 तथा सम्बन्धित ट्रेड में प्रमाण-पत्र तथा 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव। |
| 30 | मुद्रण | स्नातक तथा मुद्रण में डिप्लोमा। |
| 31 | कुलाल विज्ञान | कुलाल विज्ञान के साथ बी0एस0सी0 तथा रचनात्मक अथवा कुलाल विज्ञान में बी0एस0सी0 प्राविधिक कुलाल विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री। |
| 32 | कम्प्यूटर | स्नातक तथा पी0जी0डी0सी0ए0 अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर के0जी0सी0ए0 अथवा बी0टेक0 अथवा बी0टेक0 इन कम्प्यूटर। |

#विज्ञप्ति संख्या परिषद–9/438, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा सम्मिलित।

## परिशिष्ट–ख

(अध्याय दो के विनियम 2 (4) के सन्दर्भ में)

क– ऐसे व्यक्ति का विवरण जो पद पर अन्तिम बार था :–

1– पदनाम।
2– वेतनमान।
3– रिक्त होने का दिनांक और उसका कारण।
4– रिक्ति का प्रकार–छुट्टी, अस्थायी या मौलिक।
5– पद के लिये विहित अर्हतायें।
6– पिछले पदधारी का नाम तथा वेतन।
7– अभ्युक्ति।

ख– नियुक्त किये गये व्यक्ति का विवरण :–

1– नाम।
2– जन्म दिनांक।
3– अर्हतायें–परीक्षायें, उन्हें उत्तीर्ण करने के दिनांक के साथ–साथ विषय, श्रेणी सहित।
4– उस वेतनक्रम में जिससे पदोन्नति की गयी हो, ज्येष्ठता के अनुसार स्थिति।
5– ऐसी अवधि दिनांक सहित जिसके लिये नियुक्ति की गयी हो।
6– अनुज्ञात वेतन और वेतनमान।
7– अभ्युक्ति।

## परिशिष्ट–ग

(अध्याय दो के विनियम 10 (च) तथा 11 (1) के संदर्भ में)

संस्था का नाम .......................... साक्षात्कार का स्थान .................. पद का विवरण जिसके लिये साक्षात्कार लिया गया।

साक्षात्कार का दिनांक ..........................

| क्रम सं0 | अभ्यर्थी का नाम पते सहित | क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है। | जन्म दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| उत्तीर्ण | परीक्षा | विषय | वर्ष | श्रेणी | वेतनमान | पूर्व अनुभव अवधि संस्था का नाम ........... से ........... तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| अन्य कार्यकलाप | दिये गये गुण विषयक अंक | चयन समिति के सदस्यों का पर्यवेक्षण | साक्षात्कार अंक |
|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 15 | 16 |

| गुण विषयक और साक्षात्कार के अंकों का योग | क्या सदस्य चयन से सहमत है (हैं या नहीं) यदि नहीं तो संक्षेप में कारण बताइये | अभ्युक्ति, यदि कोई हो। |
|---|---|---|
| 7 | 18 | 19 |

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने चयन से सम्बन्धित सभी अभिलेखों की जांच कर ली है और विशेष रूप से परीक्षा कर ली है कि कोई भी अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के आधार पर साक्षात्कार में सम्मिलित होने के विधि सम्मत दावे से वंचित नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर ..................................
पूरा नाम ..................................
पद नाम ..................................
पता ..................................

## परिशिष्ट—घ

(अध्याय दो के विनियम 10 (घ) के सन्दर्भ में)

**किसी संस्था के प्रधान और अध्यापक के लिये गुण विषयक माप मान संस्था के प्रधान के लिये गुण विषयक अंक**

| | | | |
|---|---|---|---|
| साक्षात्कार में बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक .. | | .. | 150 |
| चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिये जाने वाले अधिकतम अंक | .. | .. | 50 |
| | 1 | 2 | 3 |
| हाईस्कूल | 10 | 7 | 4 |
| इन्टरमीडिएट | 20 | 15 | 8 |
| स्नातक परीक्षा | 30 | 23 | 12 |
| स्नातकोत्तर उपाधि | 40 | 30 | 16 |
| | सिद्वान्त | व्यवहार | अंक |
| प्रशिक्षण उपाधि डिप्लोमा | 1 | 1 | 20 |
| | 1 | 2 | 18 |
| | 2 | 1 | 16 |
| | 2 | 2 | 12 |
| | 2 | 3 | 10 |
| | 3 | 2 | 10 |
| | अन्य | .. | 8 |

शिक्षण अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।

प्रशासनिक अनुभव – प्रति वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक

इण्टरमीडिएट के अध्यापकों के लिये गुण विषयक अंक—

| | | | |
|---|---|---|---|
| साक्षात्कार में बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक .. | | .. | 150 |
| चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंक | – | – | 50 |
| | 1 | 2 | 3 |
| हाईस्कूल | 10 | 7 | 4 |
| इन्टरमीडिएट | 20 | 15 | 8 |
| स्नातक परीक्षा | 30 | 23 | 12 |
| स्नातकोत्तर उपाधि | 50 | 38 | 20 |
| | सिद्वान्त | व्यवहार | अंक |
| प्रशिक्षण | 1 | 1 | 10 |
| | 1 | 2 | 9 |
| | 2 | 1 | 8 |
| | 2 | 2 | 6 |
| | 2 | 3 | 5 |
| | 3 | 2 | – |
| | अन्य | – | 4 |

शिक्षण अनुभव – प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक।

| | | | |
|---|---|---|---|
| सह– पाठ्यचर्या कार्य कलाप | – | – | 15 |

हाईस्कूल के अध्यापकों से लिये गुण विषयक अंक

| | | | |
|---|---|---|---|
| साक्षात्कार के लिये बुलाने के लिये अधिकतम गुण विषयक अंक | | | 150 |
| चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिये अधिकतम अंक | | | 50 |
| | 1 | 2 | 3 |
| हाईस्कूल | 15 | 12 | 6 |
| इन्टरमीडिएट | 25 | 18 | 10 |
| स्नातक उपाधि | 40 | 30 | 16 |
| स्नातकोत्तर उपाधि | 20 | 15 | 18 |
| | सिद्वान्त | व्यवहार | अंक |
| प्रशिक्षण | 1 | 1 | 20 |
| | 1 | 2 | 18 |
| | 2 | 1 | 16 |
| | 2 | 2 | 12 |
| | 2 | 3 | 10 |
| | 3 | 2 | |
| | अन्य | — | 8 |
| शिक्षण अनुभव— प्रतिवर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक। | | | |
| सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप | — | 8 | 5 |

सी0टी0 ग्रेड अध्यापकों और अन्य के लिए गुण विषयक अंक

| | | | |
|---|---|---|---|
| साक्षात्कार में बुलाने के लिये गुण विषयक अंक | | | 150 |
| चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए अधिकतम अंक | | | 50 |
| | 1 | 2 | 3 |
| हाईस्कूल | 40 | 31 | 16 |
| इण्टरमीडिएट | 60 | 45 | 24 |
| | सिद्वान्त | व्यवहार | अंक |
| प्रशिक्षण | 1 | 1 | 20 |
| | 1 | 2 | 18 |
| | 2 | 1 | 16 |
| | 2 | 2 | 12 |
| | 2 | 3 | 10 |
| | 3 | 2 | |
| | अन्य | .. | .. |
| शिक्षण अनुभव — प्रत्येक वर्ष के लिये 2 अंक और अधिकतम 15 अंक। | | | |
| सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप | | | 15 |

सभी मामलों में सह–पाठ्यचर्या कार्यकलाप के लिए दिये गये गुण विषयक अंकों के ब्यौरे निम्न प्रकार है

| III | सह–प्राठ्यचर्या कार्यकलाप | सक्रिय रूप से भाग लिया | |
|---|---|---|---|
| (क) | खेल/खेलकूद | विद्यालय एकादश | 1 |
| | | कालेज एकादश | 2 |
| | | विश्वविद्यालय एकादश | 3 |
| | | राज्य एकादश | 5 |
| (ख) | स्काउटिंग | द्वितीय श्रेणी | 1 |
| | और | प्रथम श्रेणी | 3 |
| | | राष्ट्रपति | 5 |
| | राष्ट्रीय कडेट कोर या पी० एस० डी० | कारपोरल | 1 |
| | | सार्जेट | 2 |
| | | कम्पनी सार्जेट मेजर | 3 |
| | | बटालियन सार्जेट मेजर | 4 |
| | | अन्डर आफीसर | 5 |
| (ग) | अन्य दक्षता अर्थात् वाद–विवाद, नाट्यकला, यूनियन पार्लियामेन्ट | विद्यालय स्तर | 1 |
| | | कालेज स्तर | 2 |
| | | विश्वविद्यालय स्तर | 3 |
| | | राज्य स्तर | 5 |

अवधेय (1) गुण विषयक अंकों की गणना करने के लिये इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा को हाईस्कूल के समकक्ष् और पी० यू० सी० को इन्टरमीडिएट के समकक्ष् समझा जायेगा।

(2) जिन अभ्यर्थियों ने कोई परीक्षा पूरक परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो उन्हें यदि सम्बन्धित परीक्षा में कोई श्रेणी न दी गई हो तो उनके गुण अंक 'तृतीय श्रेणी' के अन्तर्गत् और यदि कोई श्रेणी दी गई हो तो गुण अंक उस श्रेणी के अन्तर्गत् प्रदान किये जायेगें।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी ने दो या अधिक विषयों में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की हो तो:–

(क) यदि वह प्रवक्ता पद का अभ्यर्थी हो तो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी है केवल उस विषय की मास्टर्स डिग्री के आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(ख) यदि वह एल०टी० ग्रेड के पद का अभ्यर्थी हो तो जिस मास्टर्स डिग्री की श्रेणी अच्छी हो उसके आधार पर उसे गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(4) एम०एड० अथवा पी० एच० डी० डिग्री धारी अभ्यर्थियों को निम्नवत् अतिरिक्त गुण अंक केवल उस दशा में प्रदान किये जायेगें जबकि वे संस्था के प्रधान अथवा प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी हो, किन्तु अतिरिक्त अंक इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जायेगें कि अतिरिक्त अंक मिलाकर किसी अभ्यर्थी के गुण अंक 150 से अधिक न हों:–

(क) मास्टर्स डिग्री के साथ एम० एड० होने पर 5 अतिरिक्त अंक,

(ख) मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र (Education) या मनोविज्ञान (Psychology) में पी०एच०डी० या डी०फिल० होने पर 10 अतिरिक्त अंक,

(ग) मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान में पी०एच०डी० या डी०फिल० के अतिरिक्त यदि एम० एड० हो तो 15 अतिरिक्त अंक,

19/4-A

(घ) यदि प्रवक्ता पद हेतु कोई अभ्यर्थी मास्टर्स डिग्री के साथ शिक्षा शास्त्र या मनोविज्ञान से भिन्न ऐसे विषय में पी० एच० डी० या डी० फिल० हो जिस विषय को पढ़ाने हेतु वह अभ्यर्थी हो तो 10 अतिरिक्त अंक।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्नातक डिग्री के अतिरिक्त एम०एड० डिग्री भी हो तो एम० एड० हेतु उसे 5 अतिरिक्त गुण अंक प्रदान किये जावेगें। (उसे स्नातक डिग्री व बी० एड० डिग्री के गुण अंक मिलेगें ही)। यह अतिरिक्त अंक भी इस प्रतिबन्ध के साथ दिये जावेगें कि कुल गुण अंक 150 से अधिक न हों।

(6) सी० टी० ग्रेड पद के अभ्यर्थी जो स्नातक भी हों को निम्नवत् अतिरिक्त गुण अंक इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किये जावेगें कि कुल गुण अंक 150 से अधिक न हों:–

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| **स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि जो भी श्रेश्ठ हो** | 15 | 10 | 5 |

(7) प्रशिक्षण उपाधि / डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी जिन्हें 1–3 या 3–1 श्रेणियां मिली हो को 11 गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(8) जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण योग्यता से छूट दी गई हो, उन्हें 'अन्य' की श्रेणी के अन्तर्गत् 8 गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(9) जिन अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से छूट दी गयी हो उन्हें सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित न्यूनतम गुण अंक अर्थात् तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित गुण अंक प्रदान किये जावेगें।

(10) जो अभ्यर्थी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (P.G.D.) प्राप्त हों उन्हें संबंधित विषय की स्नातकोत्तर डिग्री के तृतीय श्रेणी हेतु निर्धारित गुण अंक के आधे अंक प्रदान किये जायेगें। किन्तु यह सुविधा केवल प्रवक्ता और एल०टी० ग्रेड के पदों के अभ्यर्थियों को ही प्रदान की जायेगी।

(11) यदि किसी अभ्यर्थी के पास आचार्य, साहित्यरत्न, विशारद, मध्यमा, विद्याविनादिनी आदि की योग्यता हो तो इसे उस योग्यता के समकक्ष मान्य स्नातकोत्तर या स्नातक डिग्री अथवा इण्टर या हाईस्कूल हेतु निर्धारित गुण अंक प्रदान किये जायेगें।

(12) ऐसे अभ्यर्थी जो जे०टी०सी० / बी०टी०सी० ग्रेड से सी०टी० ग्रेड में पदोन्नत हुये हों और उन्होनें सी०टी० ग्रेड अध्यापक के रूप में पांच वर्ष की सेवा कर ली हो उन्हें भी परिशिष्ट–क के द्वितीय पैरा में उल्लिखित शब्द 'प्रशिक्षित' के अन्तर्गत् माना जायेगा।

(13) जहां किसी पद के लिये आवेदक, यथास्थिति, कोई नेत्रहीन व्यक्ति या कोई विधवा हो तो उसे 5 अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगे।

(14) जहां आवेदक ने कोई परीक्षा कम्पार्टमेन्टल अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो और उसे कोई श्रेणी प्रदान न की गयी हो या केवल उत्तीर्ण घोषित किया गया हो, तो उसे गुण–विषयक अंक इस प्रकार प्रदान किये जायेगें मानो वह परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की गयी थी।

(15) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान पद के लिये आवेदन किया हो तो उसे उपखंड (5) के अधीन रहते हुए निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगें:–

(1) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त एम० एड० उपाधि रखता हो तो एम०एड० के लिये 5 अतिरिक्त अंक।

(2) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त किसी विषय में पी०एच०डी० या डी०फिल० हो तो पी०–एच० डी या डी० फिल० के लिए 10 अतिरिक्त अंक।

(3) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि और पी० एच० डी० / डी०फिल० के अतिरिक्त एम०एड० की उपाधि रखता हो तो पी०एच०डी० / डी०फिल० के लिए 10 अतिरिक्त अंक और एम०एड० के लिये 5 अतिरिक्त अंक।

(16) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता पद के लिये आवेदन किया हो तो उसे निम्नलिखित अतिरिक्त अंक प्रदान किये जायेगें:–

(1) यदि वह स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त एम०एड० की उपाधि रखता हो तो एम०एड० के लिए 5 अतिरिक्त अंक।

12/4-B

(2) यदि स्नातकोत्तर उपाधि के अतिरिक्त वह शिक्षा या मनोविज्ञान या उस विषय में जिसमें उसने प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया हो, पी0एच0डी0 या डी0 फिल0 हो तो, पी0एच0डी0/डी0 फिल0 के लिये 10 अतिरिक्त अंक।

(3) यदि वह उपर्युक्त उपखंड (2) में निर्दिष्ट विषय मे स्नातकोत्तर उपाधि और पी0एच0डी0/डी0फिल0 के अतिरिक्त एम0एड0 उपाधि रखता हो तो पी0एच0डी0/डी0फिल0 के लिए 10 अतिरिक्त अंक और एम0एड0 के लिय 5 अतिरिक्त अंक।

(17) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिए आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषयक अंक उस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेंगे जिनमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि एम0 एड0 की उपाधि अन्य स्नातकोत्तर उपाधि की तुलना मे अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी में हो तो आवेदक उपखंड (3) के अधीन किसी अतिरिक्त अंक का हकदार न होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि आवेदक केवल एम0एड0 हो और उसके पास कोई स्नातकोत्तर उपाधि न हो तो एम0एड0 के लिये स्नातकोत्तर उपाधि के रूप में गुण विषयक अंक प्रदान किए जायेंगे।

(18) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता के लिये आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि (एम0 एड0 से भिन्न) रखता हो तो गुण विषयक अंक उस विषय में जिसमें उसने प्रवक्ता के पद के लिये आवेदन किया हो, स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

(19) जहां किसी व्यक्ति ने एल0 टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये आवेदन किया हो और वह एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो तो गुण विषयक अंक उस विषय में जिसमें अन्य विषय या विषयों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो, स्नातकोत्तर उपाधि के आधार पर प्रदान किये जायेंगें।

(20) जहां किसी अध्यापक के पद के लिये आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति किसी विषय के लिये निहित एक से अधिक वैकल्पिक अर्हतायें रखता हो तो उसे उन वैकल्पिक अर्हताओं के सम्बन्ध में केवल एक ऐसी उपाधि, प्रमाण–पत्र या डिप्लोमा के लिये जिसमें अपेक्षाकृत अच्छी श्रेणी हो गुण–विषयक अंक प्रदान किये जायेगे।

(21) जहां किसी व्यक्ति के पास आचार्य, शास्त्री साहित्यरत्न, विशारद, मध्यमा या विद्याविनोदिनी की अर्हता हो वहां उसे स्नातकोत्तर या स्नातक उपाधि के लिये या इण्टरमीडिएट या हाईस्कूल अर्हता के लिये जिनके समतुल्य प्रथम उल्लिखित अर्हताओं को परिषद् द्वारा मान्यता दी गयी है, गुण विषयक अंक प्रदान कर दिये जायेगें।

(22) जहां किसी व्यक्ति ने सी0टी0 ग्रेड में किसी पद के लिये आवेदन किया हो, वह उसे उसकी स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि जो भी प्रथम श्रेणी में हो, के सम्बन्ध में अथवा यदि स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में हो तो किसी एक उपाधि के सम्बन्ध में 15 अतिरिक्त गुण अंक दिये जायेगें, द्वितीय अथवा तृतीय में उपरोक्त उपाधियाँ होने की दशा में कोई अतिरिक्त गुण अंक नहीं दिया जायेगा।

(23) जहां किसी व्यक्ति ने संस्था के प्रधान के पद के लिये या एल0 टी0 या सी0टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये या सी0टी0 श्रेणी से निम्न स्तर श्रेणी के लिये आवेदन किया हो, और अपने प्रशिक्षण उपाधि डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में सिद्धान्त और व्यवहार में **कमशः प्रथम और तृतीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी** और प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो, वहां उसे 11 गुण विषयक अंक दिये जायेगें।

(24) जहां किसी व्यक्ति ने प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन किया हो और अपने प्रशिक्षण उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में सिद्वान्त और व्यवहार में कमशः प्रथम और द्वितीय श्रेणी या तृतीय और प्रथम श्रेणी प्राप्त की हो वहां **उसे 5 1/2 गुण विशयक** अंक दिये जायेगें।

(25) जहां प्रशिक्षण अर्हता के सम्बन्ध में किसी उपाधि प्रमाण–पत्र या डिप्लोमा में केवल प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी उल्लिखित हो, वहां आवेदक (सिद्वान्त और व्यवहार के लिये) कमशः I-I, II-II, या III-III के बराबर गुण विषयक अंक का हकदार होगा।

19/4-C

(26) जहां किसी पद के लिए किसी आवेदक को अपेक्षित प्रशिक्षण अर्हता की छूट दी गयी हो या उसने अपने प्रशिक्षण उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में सिद्धान्त और व्यवहार में तृतीय श्रेणी प्राप्त की हो, या वह परिशिष्ट–क की कम संख्या–1 के खंड (2) में संस्था के प्रधान के लिये निहित अर्हतायें रखता हो, जहां से परिशिष्ट में दी गयी गुण विषयक सारणी में शीर्षक 'प्रशिक्षण' के सामने शीर्षक 'अन्य' के अधीन गुण विषयक अंक दिये जायेगें।

(27) जहां किसी आवेदक को किसी पद के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की छूट दी गयी हो, वहां ऐसी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में उसे न्यूनतम गुण विषयक अंक दिये जायेगें अर्थात् जो अंक तृतीय श्रेणी के लिये विहित हो।

(28) जहां प्रवक्ता पद के लिये या एल0टी0 श्रेणी में किसी पद के लिये किसी आवेदक के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में, स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो, वहां उसे ऐसे डिप्लोमा के लिये, ऊपर उल्लिखित किसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के सम्बन्ध में तृतीय श्रेणी के लिये विहित गुण विषयक अंक के आगे गुण विषयक अंक दिये जायेगें।

(29) कोई आवेदक केवल एक प्रशिक्षण अर्हता अर्थात् प्रशिक्षण उपाधि, प्रमाण–पत्र या डिप्लोमा, इसमें जो भी उच्चतम् प्रशिक्षण अर्हता के होने पर लिये गुण विषयक अंक पाने का हकदार होगा। उदाहरणार्थ यदि आवेदक सी0टी0 या और बाद में वह बी0एड0 उपाधि या एल0टी0 प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले तो वह **केवल उच्चतम प्रशिक्षण** अर्हता के लिये गुण विषयक अंक का हकदार होगा।

टिप्पणी – इस उपखंड के प्रयोजनार्थ, एम0 एड0 को प्रशिक्षण अर्हता नहीं समझा जायेगा।

(30) खंड (1), (3), (4) या (10) के अधीन अतिरिक्त गुण विषयक अंक इस शर्त पर दिये जायेगें कि समस्त गुण विषयक अंकों का योग 150 से अधिक न हो।

(31) संस्था के प्रधान–पद के लिये प्रशासनिक अनुभव में प्रयोजनार्थ केवल निम्नलिखित अनुभव का विचार किया जायेगा—

(1) जहां आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल या हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक की या किसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इण्टरमीडिएट कालेज के प्रिंसिपल की हैसियत से कार्य किया हो।

(2) जहां आवेदक शिक्षा विभाग में किसी राजपत्रित पद पर रहा हो।

(3) जहां आवेदक कम से कम तीन वर्ष तक एन0 सी0 सी0 में कमीशन अधिकारी के रूप में किसी पद पर रहा हो। वहां समस्त उपर्युक्त अनुभव।

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (3) में निर्दिष्ट प्रशासनिक अनुभव की स्थिति में गुण विषयक अंक देने के लिए प्रथम तीन वर्ष के अनुभव को एक वर्ष माना जायेगा और प्रत्येक अनुवर्ती एक वर्ष को एक वर्ष समझा जायेगा।

(32) किसी पद के लिये शिक्षण अनुभव के प्रयोजनार्थ, केवल ऐसे समस्त अनुभव पर विचार किया जायेगा जिसे आवेदक किसी मान्यता प्राप्त संस्था में, जिसमें प्राथमिक विद्यालय भी हो, अध्यापक की हैसियत से कार्य करके अर्जित किया हो। किसी मान्यता प्राप्त एवं प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के रूप में अर्जित अनुभव का विचार केवल जे0 टी0 सी0/बी0टी0सी0 श्रेणी में अध्यापक पद के लिये किया जायेगा। यदि आवेदक ने संस्था के प्रधान के पद से भिन्न पद के लिये आवेदन किया हो तो 'शिक्षण अनुभव' के लिये किसी मान्यता प्राप्त संस्था के प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के उसके अनुभव का भी विचार किया जायेगा।

(33) उपर्युक्त उपखंड (19) और (20) के प्रयोजनार्थ—

(क) छः मास से कम का अनुभव कोई गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह नहीं बनायेगा, किन्तु छः मास या अधिक, किन्तु एक वर्ष से कम का अनुभव एक वर्ष के लिये गुण विषयक अंक देने के लिये अर्ह बनायेगा।

(ख) किसी संस्था के निर्देश में पद 'मान्यता प्राप्त' का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा या विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या सृजित किसी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त से है जिसके अन्तर्गत् सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली, कौंसिल आफ इन्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, दिल्ली, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या किसी ऐसे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई उपाधि महाविद्यालय भी है।

12|4-D

## परिशिष्ट–ड

(अध्याय दो के विनियम 18(1) के सन्दर्भ में)

रजिस्ट्रीकृत आवरण में

संख्या .......................... दिनॉक ......................

संस्था का नाम ..............................

स्थान ..........................................

जिला ..........................................

विषय – संस्था के अध्यापक/प्रधान की नियुक्ति।

महोदय/महोदया,

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि चयन समिति द्वारा आपका चयन .................................. के पद के लिये किया गया है। संस्था की प्रबन्ध समिति ने अपने संकल्प संख्या .................. दिनॉक .......... द्वारा आपको ........................ रुपये के मानकम में ................ रूपये के प्रारम्भिक वेतन तथा नियमावली के अधीन यथा अनुमन्य महंगाई भत्ते पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर ...................................... तक अस्थायी रूप से ........................ के रूप में नियुक्त कर लिया है।

आपसे इस पत्र के प्राप्ति के दिनांक से दस दिन के भीतर संस्था के प्रधान/प्रबन्धक के समक्ष उपस्थित होने और कार्यभार ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप ऊपर विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो इस नियुक्ति को रद्द किया जा सकेगा।

भवदीय,

प्रबन्धक।

प्रतिलिपि जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका .................................. सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक ............................ को सूचनार्थ अग्रसारित।

## कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

15 नवम्बर, 2017 ई0

सं0 परिषद्–9/964–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 1954/15-12-2017-1604(29)/2017, दिनांक 03 नवम्बर, 2017 के द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय-दो (संस्था के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्तियां) के विनियम-9 को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-16(2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है :

### अध्याय-दो

| वर्तमान विनियम | संशोधित विनियम |
|---|---|
| **विनियम–9 (1)** जहां अध्यापक के पद में कोई रिक्ति उसे छः माह से अधिक अवधि की छुट्टी प्रदान किये जाने के कारण हुई हो या जहां कोई अध्यापक निलम्बित हो जिसे निरीक्षक ने धारा 16-छः की उपधारा (7) के अधीन लिखित रूप में अनुमोदित कर दिया हो और ऐसे निलम्बन की अवधि ऐसे अनुमोदन के दिनांक से छः माह से अधिक हो जाने की सम्भावना हो तो रिक्ति इस विनियम के उपलबन्धों के अधीन रहते हुये यथास्थिति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा अस्थायी रूप से भरी जा सकती है। | विनियम–9 (1) सहायक अध्यापक/प्रवक्ता के आकस्मिक निधन, सेवाच्युत किये जाने या सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप पद रिक्त होने की स्थिति में अल्पकालिक व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी आने अथवा 01 जुलाई से ग्रीष्मावकाश होने की अवधि तक जो भी पहले घटित हो तक के लिये अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों पर सेवा निवृत्त सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं से इस विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये निरीक्षक द्वारा 70 वर्ष से अनधिक आयु के सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं का बालक एवं बालिका विद्यालय के लिये जनपद स्तर पर अलग-अलग पूल का गठन किया जाय। सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ताओं को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा। |
| (2) जहां कोई रिक्ति खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रकार की हो या विनियम-2 के अधीन पदोन्नति के परिणाम स्वरूप हो और ऐसी रिक्ति की अवधि तीस दिन से अधिक किन्तु छः माह से अनधिक हो तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा जयेष्ठता के आधार पर निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के सम्यक् रूप से अर्ह स्थायी अध्यापक की पदोन्नति करके भरी जा सकती है। | (2) जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अल्पकालिक रूप से रिक्त सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ताओं के पदो हेतु जनपद स्तर पर एक पूल से, संस्था के अनुरोध पर सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता को सम्बन्धित संस्था में आवश्यकतानुसार अध्यापन कार्य हेतु लिया जायेगा। |
| (3) यदि खण्ड (2) के अधीन कोई रिक्ति निकटतम निम्नतर श्रेणी में संस्था के किसी ऐसे अध्यापक के जो उस पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, उपलब्ध न होने के कारण भरी न जा सके तो वह प्रबन्ध समिति द्वारा कुल मिलाकर छः माह से अनधिक अवधि के लिये सीधी भर्ती द्वारा तदर्थ आधार पर भरी जा सकती है। | |

| वर्तमान विनियम | संशोधित विनियम |
| --- | --- |
| (4) खण्ड (2) या खण्ड (3) के अधीन भरी गयी सभी रिक्तियां उनके भरे जाने के एक सप्ताह के भीतर परिशिष्ट (ख) में विहित प्रारूप (प्रोफार्मा) में निरीक्षक को सूचित की जायेगी। 9(क) किसी स्थायी अध्यापक की निम्नस्तर श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति के परिणामस्वरूप हुई किसी रिक्ति को भरने के लिये किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई अध्यापक उस पद पर ऐसे स्थायी अध्यापक के उच्चतर श्रेणी में स्थायीकरण के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त किया गया समझा जायेगा। | |

(नीना श्रीवास्तव),
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र दिनांक 18-11-2017 के भाग 4 में प्रकाशित विज्ञप्ति।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–]

पी0एस0यू0पी0–133 मा0शि0प0–08-12-2017–3000 प्रतियां (मोनो / डी0टी0पी0 / आफसेट)।

रजिस्टर्ड नं०-एल०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 24 मार्च, 2018 ई० (चैत्र 3, 1940 शक संवत्)

भाग 4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

### कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

20 मार्च, 2018 ई०

सं० परिषद्–9/1286–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या 2167/15-12-2017-1600(550)/2017, दिनांक 12 मार्च, 2018 के द्वारा परिषद् विनियमों के अध्याय-दो के विनियम-17 को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-16(2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है :

| वर्तमान विनियम | संशोधित विनियम |
|---|---|
| 10–किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधे भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी– | 10–किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधे भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी– |
| (ङ) साक्षात्कार के लिए बुलाये गये प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित दरों पर साक्षात्कार फीस का भुगतान करना होगा– | (ङ) साक्षात्कार के लिए बुलाये गये प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित दरों पर साक्षात्कार फीस का भुगतान करना होगा– |
| (1) संस्था प्रधान के पद के लिए | (1) संस्था प्रधान के पद के लिए |
| सामान्य अभ्यर्थी–रु0 20.00 | सामान्य अभ्यर्थी–रु0 1000.00 |
| अनुसूचित जाति/जनजाति का अभ्यर्थी–रु0 05.00 | अनुसूचित जाति/जनजाति का अभ्यर्थी–रु0 250.00 |
| (2) अध्यापक के पद के लिए | (2) अध्यापक के पद के लिए |
| सामान्य अभ्यर्थी–रु0 13.00 | सामान्य अभ्यर्थी–रु0 500.00 |
| अनुसूचित जाति/जनजाति का अभ्यर्थी–रु0 03.00 | अनुसूचित जाति/जनजाति का अभ्यर्थी–रु0 125.00 |
| साक्षात्कार फीस रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या निरीक्षक द्वारा बताये गये शीर्षक के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया में धनराशि जमा करके कोषागार चालान द्वारा देय होगी। किसी भी दशा | साक्षात्कार फीस रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या निरीक्षक द्वारा बताये गये शीर्षक के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया में धनराशि जमा करके कोषागार चालान द्वारा देय होगी। किसी भी दशा |

52 हि.ग. –17

| वर्तमान विनियम | संशोधित विनियम |
|---|---|
| में साक्षात्कार फीस नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट और कोषागार चालान प्रबन्धक द्वारा चयन के पश्चात् शीघ्र ही निरीक्षक को भेजे जायेंगे। | में साक्षात्कार फीस नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट और कोषागार चालान प्रबन्धक द्वारा चयन के पश्चात् शीघ्र ही निरीक्षक को भेजे जायेंगे। |
| 11–(1) किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक के चयन में उपस्थित विशेषज्ञों का यह कर्तव्य होगा कि वे चयन से सम्बन्धित सभी कागज-पत्रों की छान-बीन करें और विशेष रूप से यह परीक्षण करें कि साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार इस प्रकार ठीक तौर से बुलाया गया और यह कि किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के ऐसे अवसर से वंचित तो नहीं रखा गया जो उचित रीति से मिलना चाहिए था। वे परिशिष्ट 'ग' में विवरण में यथा प्रस्तावित चयन की कार्यवाहियों में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देंगे। यदि वे यह अनुभव करें कि किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या चूक के फलस्वरूप साक्षात्कार के विधि संगत अवसर से वंचित रखा गया है तो वे मामले के पूरे ब्योरे के साथ निरीक्षक को सूचित करेंगे। यदि निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि इससे साक्षात्कार की कार्यवाहियां दूषित हो गयी हैं तो वह साक्षात्कार की कार्यवाहियों को अकृत और शून्य घोषित कर देगा और ऐसे मामलों में फिर से चयन करने के लिए आदेश देगा। इस सम्बन्ध में निरीक्षक के आदेश अन्तिम और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए आबद्ध कर होंगे। | 11–(1) किसी संस्था के प्रधान या अध्यापक के चयन में उपस्थित विशेषज्ञों का यह कर्तव्य होगा कि वे चयन से सम्बन्धित सभी कागज-पत्रों की छान-बीन करें और विशेष रूप से यह परीक्षण करें कि साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों को अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार ठीक तौर से बुलाया गया है और यह कि किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के ऐसे अवसर से वंचित तो नहीं रखा गया जो उचित रीति से मिलना चाहिए था। वे परिशिष्ट 'ग' में विवरण में यथा प्रस्तावित चयन की कार्यवाहियों में इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देंगे। यदि वे यह अनुभव करें कि किसी अभ्यर्थी को किसी त्रुटि या चूक के फलस्वरूप साक्षात्कार के विधि संगत अवसर से वंचित रखा गया है तो वे मामले के पूरे ब्योरे के साथ निरीक्षक को सूचित करेंगे। यदि निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि इससे साक्षात्कार की कार्यवाहियां दूषित हो गयी हैं तो वह साक्षात्कार की कार्यवाहियों को अकृत और शून्य घोषित कर देगा और ऐसे मामलों में फिर से चयन करने के लिए आदेश देगा। इस सम्बन्ध में निरीक्षक के आदेश अन्तिम और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए आबद्ध कर होंगे। |
| (2) चयन से सम्बन्धित सभी आवेदन-पत्र, कागज-पत्र और रजिस्टर प्रबन्धाधिकरण द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेंगे जैसी कि निदेशक द्वारा विहित की जाये और निरीक्षक, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निदेशक को जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किये जायेंगे। | (2) चयन से सम्बन्धित सभी आवेदन-पत्र, कागज-पत्र और रजिस्टर प्रबन्धाधिकरण द्वारा उतनी अवधि तक सुरक्षित रखे जायेंगे जैसा कि निदेशक द्वारा विहित की जाये और निरीक्षक, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निदेशक को जैसे ही और जब उन्हें मांगा जाय, प्रस्तुत किये जायेंगे। |
| 12–संस्था का प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि चयन करने के पूर्व अधिनियम और विनियम के अधीन की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा चयन समिति के सभापति या सदस्य का नाम निर्देशन भी है, यथासमय कर ली जाय और साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक पर चयन समिति की बैठक और साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों के बैठने का सभी प्रबन्ध कर दिया गया है। | 12–संस्था का प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेगा कि चयन करने के पूर्व अधिनियम और विनियम के अधीन की जाने वाली सभी आवश्यक कार्यवाही जिसके अन्तर्गत प्रबन्ध समिति द्वारा चयन समिति के सभापति या सदस्य का नाम निर्देशन भी है, यथासमय कर ली जाय और साक्षात्कार के लिए निर्धारित दिनांक पर चयन समिति की बैठक और साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों के बैठने का सभी प्रबन्ध कर दिया गया है। |
| 16–चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगें इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करें, यात्रा-भत्ता दिया जायेगा। | 16–चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगें इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करें, यात्रा-भत्ता दिया जायेगा। |

वर्तमान विनियम

17—धारा 16-चच में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी—

(क) प्रबन्धाधिकरण द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित किये जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम एक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार-पत्र में जिसका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, पद विज्ञापित किये जायेंगे जिसमें रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् अस्थायी हैं या स्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या पद का विवरण (अर्थात् प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या एल०टी०, सी०टी० या जे०टी०सी०, बी०टी०सी० श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसे विषय जिसमें या जिनमें प्राध्यापक या अध्यापक की आवश्यकता हो), पद के लिए विहित वेतनमान और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम अर्हता और आयु आदि कोई हो तो उनके सम्बन्ध में विवरण दिये जायेंगे और ऐसा दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) जिस तक प्रबन्धक द्वारा आवेदन-पत्र लिये जायेंगे, विहित किया जायेगा। साथ ही साथ विज्ञापन की एक प्रति सम्बद्ध निरीक्षक को भेजी जायेगी।

**टिप्पणी**—(1) अध्यापकों और संस्था के प्रधान के पदों की समस्त रिक्तियों जो विज्ञापन के समय विद्यमान हों, विज्ञापित की जायेगी।

(2) कोई नया पद विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण द्वारा उसके सृज़न के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

(ख) सभी आवेदन-पत्र प्रबन्धाधिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में दिये जायेंगे और उसमें अर्हतायें, शिक्षण अनुभव और अन्य किसी क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण होंगे और उसके साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों और प्रशंसा-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां होंगी। प्रबन्धाधिकरण आवेदन-पत्र के लिए प्रपत्र का मूल्य जो विनियम 10 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, ले सकता है।

(ग) किसी संस्था में नियोजित और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आवेदन-पत्र उसके नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा बल्कि उसे सम्बद्ध प्राधिकारी को तुरन्त अग्रसारित किया जायेगा।

(घ) अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन-पत्र क्रमानुसार संख्यांकित और रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भों में अंकित किये जायेंगे, प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार के

संशोधित विनियम

17—धारा 16-चच में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी—

(क) प्रबन्धाधिकरण द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित किये जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम एक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार-पत्र में जिसका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, पद विज्ञापित किये जायेंगे जिसमें रिक्तियों के प्रकार (अर्थात् अस्थायी हैं या स्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या पद का विवरण (अर्थात् प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता या एल०टी०, सी०टी० या जे०टी०सी०, बी०टी०सी० श्रेणी के अध्यापक तथा ऐसे विषय जिसमें या प्राध्यापक या अध्यापक की आवश्यकता हो), पद के लिए विहित वेतनमान और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम अर्हता और आयु आदि कोई हो तो उनके सम्बन्ध में विवरण दिये जायेंगे और ऐसा दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) जिस तक प्रबन्धक द्वारा आवेदन-पत्र लिये जायेंगे, विहित किया जायेगा। साथ ही साथ विज्ञापन की एक प्रति सम्बद्ध निरीक्षक को भेजी जायेगी।

**टिप्पणी**—(1) अध्यापकों और संस्था के प्रधान के पदों की समस्त रिक्तियों जो विज्ञापन के समय विद्यमान हों, विज्ञापित की जायेगी।

(2) कोई नया पद विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण द्वारा उसके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाय।

(ख) सभी आवेदन-पत्र प्रबन्धाधिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में दिये जायेंगे और उसमें अर्हतायें, शिक्षण अनुभव और अन्य किसी क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण होंगे और उसके साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों और प्रशंसा-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां होंगी। प्रबन्धाधिकरण आवेदन-पत्र के लिए प्रपत्र का मूल्य जो विनियम 10 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, ले सकता है।

(ग) किसी संस्था में नियोजित और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आवेदन-पत्र उसके नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा बल्कि उसे सम्बद्ध प्राधिकारी को तुरन्त अग्रसारित किया जायेगा।

(घ) अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन-पत्र क्रमानुसार संख्यांकित और रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भों में अंकित किये जायेंगे।

| वर्तमान विनियम | संशोधित विनियम |
| --- | --- |
| लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि (आवेदकों की संख्या उतनी हो) सात होगी। प्रबन्धक, चयन समिति के समस्त सदस्यों तथा समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जायें, चयन करने के कम से कम दस दिन पूर्व चयन का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा देगा। चयन समिति तदनुसार चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा–16चच की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निर्धारित दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी। | उक्त आवेदन-पत्रों की संख्यात्मक विवरण सहित सूचना संस्था प्रधान हेतु सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को तथा शिक्षकों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेगा। सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित निजी संस्था से चयन स्क्रीनिंग / लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।<br><br>उक्त प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर सम्बन्धित चयनित संस्था द्वारा संस्था प्रधान / प्रवक्ता हेतु 90 अंकों की लिखित परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) कराई जायेगी। साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। सहायक अध्यापकों के चयन हेतु उक्त लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।<br><br>उक्त स्क्रीनिंग टेस्ट में रिक्ति के सापेक्ष प्रत्येक पद हेतु श्रेष्ठता के आधार पर 05 चयनित अभ्यर्थियों की सूची (पैनल) तैयार की जायेगी। चयनित संस्था उक्त सूची को संस्था प्रधान हेतु सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा शिक्षकों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेगा।<br><br>सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक / जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त सूची (पैनल) को सम्बन्धित संस्था प्रबन्धक को इस आशय से उपलब्ध कराई जायेगी कि पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सम्यक् परीक्षण कर सम्बन्धित चयन समिति संस्था प्रधान एवं प्रवक्ता पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों का 10 अंकों का साक्षात्कार आयोजित करें।<br><br>सहायक अध्यापकों के उपलब्ध कराये गये पैनल में चयनित अभ्यर्थियों जिसमें प्रतीक्षा सूची भी सम्मिलित होगी, के प्रमाण-पत्रों का यथावश्यक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त श्रेष्ठता क्रम के अनुसार प्रबन्धक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त नियुक्ति की जायेगी।<br><br>संस्था प्रधान एवं प्रवक्ता पद के प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जायें चयन करने के कम से कम 10 दिन पूर्व चयन का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा देगा। चयन समिति तदनुसार साक्षात्कार करायेगी। चयन समिति लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर संस्था प्रधान एवं शिक्षक का चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा-16चच की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा |

| वर्तमान विनियम | संशोधित विनियम |
| --- | --- |
| | चयन किया गया विशेषज्ञ निर्धारित दिनांक को चयन में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी। |
| (ङ) विनियम 10 के खण्ड (ङ) और (च) के और विनियम 11, 12 तथा 16 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित, इस विनियम के अधीन किये गये चयन पर लागू होंगे। | (ङ) विनियम 10 के खण्ड (ङ) और (च) के और विनियम 11, 12 तथा 16 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित, इस विनियम के अधीन किये गये चयन पर लागू होंगे। |
| (च) प्रत्येक सम्भाग के लिए निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक-एक नामिका जिसमें विनियम 14 में निर्दिष्ट प्रवर्ग (क) से चुने गये 15 या अधिक व्यक्ति होंगे, तैयार की जायेगी और उसे सम्बद्ध सम्भागीय उप शिक्षा निदेशकों के पास भेज दिया जायेगा, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण से विशेषज्ञों के नाम भेजने का अनुरोध प्राप्त होते ही उक्त नामिका में से तीन विशेषज्ञों के नाम मुहरबन्द आवरण में प्रबन्धाधिकरण को उसके प्रबन्धक के माध्यम से संसूचित करेगा। विशेषज्ञों की सम्भागीय नामिका तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई नई नामिका न रखी जाय। | (च) प्रत्येक सम्भाग के लिए निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक-एक नामिका जिसमें विनियम 14 में निर्दिष्ट प्रवर्ग (क) से चुने गये 15 या अधिक व्यक्ति होंगे, तैयार की जायेगी और उसे सम्बद्ध सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पास भेज दिया जायेगा, सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण से विशेषज्ञों के नाम भेजने का अनुरोध प्राप्त होते ही उक्त नामिका में से तीन विशेषज्ञों के नाम मुहरबन्द आवरण में प्रबन्धाधिकरण को उसके प्रबन्धक के माध्यम से संसूचित करेगा। विशेषज्ञों की सम्भागीय नामिका तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई नई नामिका न रखी जाय। |
| (छ) किसी पद के लिए समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति किये गये चयन की कार्यवाहियों पर दो प्रतियों में एक टिप्पणी तैयार करायेगा जिसमें चुने गये अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित किये जायेंगे। इसी प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति तथा अन्य सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और अपना-अपना पूर्णनाम, पदनाम और पता तथा दिनांक उल्लिखित करेंगे। सभापति इस टिप्पणी की एक प्रति तथा विनियम 10 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण की प्रति धारा 16–चच के अधीन यथा अपेक्षित अनुमोदन के लिए, यथास्थिति, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निरीक्षक को तुरन्त अग्रसारित करेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के प्राप्त होने के दिनांक के छः माह के भीतर, यथास्थिति, सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक या निरीक्षक, उन पर अपना निर्णय देंगे और ऐसा न करने पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया समझा जायेगा। | (छ) किसी पद के लिए समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति किये गये चयन की कार्यवाहियों पर दो प्रतियों में एक टिप्पणी तैयार करायेगा जिसमें चुने गये अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित किये जायेंगे। इसी प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति तथा अन्य सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और अपना-अपना पूर्णनाम, पदनाम और पता तथा दिनांक उल्लिखित करेंगे। सभापति इस टिप्पणी की एक प्रति तथा विनियम 10 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण की प्रति धारा 16-चच के अधीन यथा अपेक्षित अनुमोदन के लिए, यथास्थिति, सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या निरीक्षक को तुरन्त अग्रसारित करेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के प्राप्त होने के दिनांक के छः माह के भीतर, यथास्थिति, सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या निरीक्षक, उन पर अपना निर्णय देंगे और ऐसा न करने पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया समझा जायेगा। |

नीना श्रीवास्तव,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०–52 हिन्दी गजट–भाग 4–2018 ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ० प्र०, इलाहाबाद।
पी०एस०यू०पी०–205 मा०शि०प०–22-03-2018–500 प्रतियां–(डी०टी०पी० / आफसेट)।

## कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

12 सितम्बर, 2019 ई0

संख्या परिषद-9/674–सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या–2391/15-05-2019-1600(550)/2017 दिनांक 12 अगस्त, 2019 द्वारा परिषद विनियमों के अध्याय-दो के विनियम-10 एवं विनियम-17 को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदान कर दी है–

| उ0प्र0 इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय-दो की धारा 10 एवं 17 का वर्तमान स्वरूप | उ0प्र0 इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अध्याय-दो की धारा 10 एवं 17 का संशोधित स्वरूप |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 10–किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी : | 10–किसी मान्यता प्राप्त संस्था में संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी : |
| (ङ) साक्षात्कार के लिए बुलायें गए प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित दरों पर साक्षात्कार फीस का भुगतान करना होगा– | (ङ) परीक्षा शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्नलिखित दरों पर भुगतान करना होगा– |
| (1) संस्था के प्रधान पद के लिए<br>सामान्य अभ्यर्थी – रु0 1,000.00<br>अनुसूचित जाति/जन-जाति अभ्यर्थी – रु0 250.00 | (1) संस्था के प्रधान पद के लिए<br>सामान्य अभ्यर्थी को – रु0 12,000.00 तथा<br>अनुसूचित जाति/जन-जाति अभ्यर्थी को रु0 700.00 देय होगा। |
| (2) अध्यापक के पद के लिए<br>सामान्य अभ्यर्थी – रु0 500.00<br>अनुसूचित जाति/जन-जाति का अभ्यर्थी – रु0 125.00 | (2) अध्यापक के पद के लिए<br>सामान्य अभ्यर्थी को रु0 600.00 तथा अनुसूचित जाति/जन-जाति के अभ्यर्थी को रु0 400.00 देय होगा। |
| साक्षात्कार फीस रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा या निरीक्षक द्वारा बताये गये शीर्षक के अन्तर्गत स्टेट बैंक इण्डिया में धनराशि जमा करके कोषागार चालान द्वारा देय होगी। किसी भी दशा में साक्षात्कार फीस नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट और कोषागार चालान प्रबन्धक द्वारा चयन के पश्चात् शीघ्र ही निरीक्षक को भेजे जायेंगे। | परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट/आनलाइन सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम से प्रेषित किया जायेगा। परीक्षा शुल्क नगद स्वीकार नहीं किया जायेगा। |

Scanned with CamScanner

| 1 | 2 |
|---|---|
| 17–धारा 16-चच में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी– | 17–धारा 16-चच में निर्दिष्ट किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सीधी भर्ती द्वारा संस्था के प्रधान और अध्यापकों की रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी– |
| (क) प्रबन्धाधिकरण द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित किए जाने के पश्चात् संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से, कम एक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार-पत्र में जिसका राज्य मे पर्याप्त परिचलन हो, पद विज्ञापित किए जायेंगे, जिसमें रिक्तियों के प्रकार (अर्थात अस्थायी/स्थायी) तथा रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण, (अर्थात प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक या सम्बद्ध प्राईमरी श्रेणी के अध्यापक) तथा ऐसे विषय जिसमें प्राध्यापक या अध्यापक की आवश्यकता हो, पद के लिए विहित वेतनमान और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम अर्हता और आयु आदि कोई हो तो उनके सम्बन्ध में विवरण दिए जायेंगे और ऐसे दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) जिस तक प्रबन्धक द्वारा आवेदन-पत्र लिए जायेंगें, का उल्लेख होना चाहिए। प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/निरीक्षक को भेजी जायेगी। | (क) प्रबन्धाधिकरण द्वारा सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित किए जाने के पश्चात संस्था के प्रबन्धक द्वारा कम से कम एक हिन्दी और एक अंग्रेजी समाचार-पत्र में जिसका राज्य में अधिक एवं पर्याप्त परिचलन हो, पद विज्ञापित किए जायेंगे, जिसमें रिक्तियों की संख्या, पद का विवरण, (अर्थात प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक या सम्बद्ध प्राईमरी श्रेणी के अध्यापक) तथा ऐसे विषय जिसमें प्राध्यापक या अध्यापक की आवश्यकता हो, पद के लिए विहित वेतनमान और अन्य भत्ते, अपेक्षित अनुभव, न्यूनतम अर्हता और आयु आदि कोई हो तो उनके सम्बन्ध में विवरण दिए जायेंगे और ऐसे दिनांक (जो साधारणतया विज्ञापन के दिनांक से दो सप्ताह से कम न होना चाहिए) जिस तक निदेशक द्वारा चयनित संस्था (राज्य सरकार द्वारा यथा-निर्दिष्ट आदेशों के क्रम में शिक्षा निदेशक द्वारा चयनित) के माध्यम से प्रबन्धाधिकरण ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा, का उल्लेख होना चाहिए। प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/निरीक्षक को भी भेजी जायेगी। |
| **टिप्पणी**–(1) अध्यापकों और संस्था के प्रधान के पदों की समस्त रिक्तियां जो विज्ञापन के समय विद्यमान हों, विज्ञापित की जायेंगी। | **टिप्पणी**–(1) अध्यापकों और संस्था के प्रधान के पदों की समस्त रिक्तियां जो विज्ञापन के समय विद्यमान हों, विज्ञापित की जायेंगी। |
| (2) कोई नया पद विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण द्वारा उनके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो। | (2) कोई नया पद विज्ञापित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण द्वारा उनके सृजन के लिए समुचित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो। |
| (ख) सभी आवेदन-पत्र प्रबन्धाधिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में दिए जायेंगे और उसमें अर्हतायें, शिक्षण अनुभव और अन्य किसी क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण होंगे और उसके साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों और प्रशंसा-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां होंगी। प्रबन्धाधिकरण आवेदन-पत्र के लिए प्रपत्र का मूल्य जो विनियम 10 के खण्ड (क) में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, ले सकता है। | (ख) प्रबन्धाधिकरण चयनित संस्था के माध्यम से सभी आवेदन-पत्र विहित प्रारूप में ऑनलाइन प्राप्त करेगा, जिसमें अर्हतायें, शिक्षण अनुभव और अन्य किसी क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक विवरण होंगे। आवेदन-पत्र के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां ऑनलाईन प्राप्त की जायेंगी। |

Scanned with CamScanner

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| (ग) किसी संस्था में नियोजित और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आवेदन-पत्र उसके नियोजक द्वारा रोका नही जायेगा बल्कि उसे सम्बन्धित प्राधिकारी को तुरन्त अग्रसारित किया जायेगा। | (ग) किसी संस्था में नियोजित और अन्यत्र या उसी संस्था में किसी पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आवेदन-पत्र उसके नियोजक द्वारा रोका नहीं जायेगा बल्कि उसे सम्बन्धित प्राधिकारी को तुरन्त अग्रसारित किया जायेगा। |
| (घ) अभ्यर्थियों से प्राप्त समस्त आवेदन-पत्र क्रमानुसार संख्यांकित करने के उपरान्त रजिस्टर में तिथिवार दर्ज किये जायेगें और अभ्यर्थियों के विवरण समुचित स्तम्भो में अंकित किये जायेगें। | (घ) चयनित संस्था द्वारा अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन समस्त आवेदन-पत्रों की सूची प्रबन्धाधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त संस्था प्रधान के सम्बन्ध में सम्बन्धित संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं अध्यापकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को भी उक्त सूची की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी। |
| प्रबन्धाधिकरण उक्त आवेदन पत्रों सहित संख्यात्मक विवरण की सूचना संस्था प्रधान पद हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा शिक्षकों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेगा। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा निदेशक द्वारा निर्धारित संस्था के माध्यम से स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा आयोजित करायेगा। | प्रधान पद हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा शिक्षकों हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के सम्बन्ध में प्रबन्धाधिकरण एवं स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा हेतु चयनित संस्था के मध्य समन्वय/पर्यवेक्षण का कार्य किया जायेगा। |
| उक्त प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर सम्बन्धित चयनित संस्था द्वारा संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक तथा सम्बद्ध प्राईमरी अध्यापक हेतु 90 अंकों की स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा करायी जायेगी। साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। | उक्त प्राप्त आवेदन-पत्रों के आधार पर सम्बन्धित चयनित संस्था द्वारा संस्था प्रधान/ प्रवक्ता/सहायक अध्यापक तथा सम्बद्ध प्राईमरी अध्यापक हेतु 90 अंकों की स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा करायी जायेगी। साक्षात्कार 10 अंकों का होगा। |
| उक्त स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा में रिक्ति के सापेक्ष पद हेतु श्रेष्ठता के आधार पर 05 अभ्यर्थियों की सूची (पैनल) तैयार की जायेगी। चयनित संस्था उक्त सूची को संस्था प्रधान हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा शिक्षकों हेतु सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेगा। | उक्त स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा में प्रत्येक रिक्त पद के प्रति 05 अभ्यर्थियों की सूची चयनित संस्था द्वारा तैयार की जायेगी। चयनित संस्था द्वारा उक्त सूची प्रबन्धाधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी प्रति सम्बन्धित संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी। |
| मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उक्त सूची (पैनल) को सम्बन्धित संस्था प्रबन्धक को इस आशय से उपलब्ध कराया जायेगा कि पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सम्यक परीक्षण कर, सम्बन्धित चयन समिति संस्था प्रधान/ प्रवक्ता/सहायक अध्यापक/सम्बद्ध प्राईमरी अध्यापक पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों का 10 अंकों का साक्षात्कार आयोजित करें। | प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त, सम्बन्धित चयन समिति संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक/सम्बद्ध प्राईमरी अध्यापक पद हेतु 10 अंकों का साक्षात्कार आयोजित करेगी। |
| संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक/सम्बद्ध प्राईमरी अध्यापक पद के प्रत्येक पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व साक्षात्कार का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा संस्था प्रबन्धक द्वारा प्रेषित की जायेगी। निर्धारित तिथि पर चयन समिति तदनुसार साक्षात्कार करायेगी। चयन समिति स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग से श्रेष्ठता के आधार पर संस्था प्रधान एवं शिक्षक का चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा-16 चच की उपधारा(1) के परन्तुक के खण्ड(क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निर्धारित तिथि को चयन समिति की बैठक में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी। | संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक/सम्बद्ध प्राईमरी अध्यापक पद के प्रत्येक पद हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व साक्षात्कार का दिनांक, समय और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा संस्था प्रबन्धक द्वारा प्रेषित की जायेगी। निर्धारित तिथि पर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जायेगा। चयन समिति स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर संस्था प्रधान एवं शिक्षक का चयन करेगी। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश धारा-16 चच की उपधारा(1) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा चयन किया गया विशेषज्ञ निर्धारित तिथि को चयन समिति की बैठक में उपस्थित न हो सके तो चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी। |

Scanned with CamScanner

| 1 | 2 |
|---|---|
| (ङ) विनियम 10 के खण्ड (ङ) और (च) के और विनियम 11, 12 तथा 16 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित, इस विनियम के अधीन किये गये चयन पर लागू होंगे। | (ङ) विनियम 10 के खण्ड (ङ) और (च) के और विनियम 11, 12 तथा 16 के उपबन्ध संशोधन सहित, इस विनियम के अधीन किये गये चयन पर लागू होंगे। |
| (च) प्रत्येक मण्डल के लिए निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक-एक नामिका (पैनल) जिसमें विनियम 14 में निर्दिष्ट प्रवर्ग (क) से चुने गये 15 या अधिक व्यक्ति होंगे, तैयार की जायेगी और उसे सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पास भेज दी जायेगी, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण से विशेषज्ञों के नाम भेजने का अनुरोध प्राप्त होते ही उक्त नामिका में से तीन विशेषज्ञों के नाम मुहरबन्द आवरण में प्रबन्धाधिकरण को उसके प्रबन्धक के माध्यम से संसूचित करेगा। विशेषज्ञों की मण्डलीय नामिका (पैनल) तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई नई नामिका (पैनल) न रखी जाय। | (च) प्रत्येक मण्डल के लिए निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक-एक नामिका (पैनल) जिसमें विनियम 14 में निर्दिष्ट प्रवर्ग (क) से चुने गये 15 या अधिक व्यक्ति होंगे, तैयार की जायेगी और उसे सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पास भेज दी जायेगी, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रबन्धाधिकरण से विशेषज्ञों के नाम भेजने का अनुरोध प्राप्त होते ही उक्त नामिका में से तीन विशेषज्ञों के नाम मुहरबन्द आवरण में प्रबन्धाधिकरण को उसके प्रबन्धक के माध्यम से संसूचित करेगा। विशेषज्ञों की मण्डलीय नामिका (पैनल) तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक कि उसके स्थान पर कोई नई नामिका (पैनल) न रखी जाये। |
| (छ) किसी पद के लिए समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति किये गये चयन की कार्यवाहियों पर दो प्रतियों में एक टिप्पणी तैयार करायेगा जिसमें चुने गये अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित किये जायेंगे। इसी प्रकार तैयार की गयी टिप्पणी पर चयन समिति के सभापति तथा अन्य सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और अपना-अपना पूर्णनाम, पदनाम और पता तथा दिनांक उल्लिखित करेंगे। सभापति इस टिप्पणी की एक प्रति तथा विनियम 10 के खण्ड(च) में निर्दिष्ट विवरण की प्रति धारा 16-चच के अधीन यथा अपेक्षित अनुमोदन के लिए, यथास्थिति, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या निरीक्षक को तुरन्त अग्रसारित करेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के प्राप्त होने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, यथास्थिति, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या निरीक्षक, उन पर अपना निर्णय देंगे और ऐसा न करने पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया समझा जायेगा। | (छ) किसी पद के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिए जाने के पश्चात् चयन समिति का सभापति विनियम-17 घ में वर्णित प्रक्रिया के अधीन चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करायेगा जिसमें चुने गये अभ्यर्थियों के नाम तथा प्रतीक्षा सूची के दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम उल्लिखित किये जायेंगे। इसी प्रकार तैयार की गयी सूची पर चयन समिति के सभापति तथा अन्य सदस्य हस्ताक्षर करेंगे और अपना-अपना पूर्णनाम, पदनाम और पता तथा दिनांक उल्लिखित करेंगे। सभापति इस सूची की एक प्रति तथा विनियम 10 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विवरण की प्रति धारा 16-चच के अधीन यथा अपेक्षित अनुमोदन के लिए, यथास्थिति, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या निरीक्षक को तुरन्त अग्रसारित करेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के प्राप्त होने के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर, यथास्थिति, मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या निरीक्षक, उन पर अपना निर्णय देंगे और ऐसा न करने पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया समझा जायेगा। |

नीना श्रीवास्तव,<br>
सचिव,<br>
माध्यमिक शिक्षा परिषद,<br>
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–24 हिन्दी गजट–भाग 4–2019 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–49 मा0शि0प0–13-09-2019–1,000 प्रतियां (मोनो / डी0टी0पी0 / आफसेट)।

Scanned with CamScanner